VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

सामाजिक मुद्दे

July 2017- September 20, 2017

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. सुभेद्य वर्गों से सम्बंधित मुद्दें ___ *3*

1.1. महिलाओं से सम्बंधित मुद्दें ___ 3

1.1.1. तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ___ 3

1.1.2. दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग ___ 4

1.1.3. महिला आरक्षण विधेयक ___ 6

1.2. अन्य मुद्दें ___ 9

1.2.1. बच्चों में मोटापे की समस्या ___ 9

1.2.2. सामाजिक बहिष्कार विधेयक ___ 10

1.2.3. घरेलू कामगार एवं संरक्षण की आवश्यकता ___ 11

1.2.4. OBC आरक्षण ___ 12

1.2.5. भारत में युवाओं से सम्बंधित मुद्दे ___ 14

1.3. भारत में भिक्षावृति पर कानून ___ 16

2. स्वास्थ्य एवं रोग ___ *19*

2.1 राष्ट्रीय पोषण रणनीति ___ 19

2.2.खरीद प्रबंधन में विफलता ___ 22

2.3. जिला अस्पतालों में चयनित सेवाओं का निजीकरण ___ 23

2.4. परिवार नियोजन की नयी पहल: मिशन परिवार विकास ___ 24

2.5. फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर ___ 26

3. शिक्षा ___ *29*

3.1. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 ___ 29

3.2. विद्यालयों का स्थान-विशेष के अनुसार विलय ___ 30

3.3.भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति ___ 31

3.4. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष ___ 33

4. विविध मुद्दें ___ *35*

4.1. स्वच्छ भारत अभियान ___ 35

4.2. मैनुअल स्केवेंजिंग ___ 36

4.3. स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट: संधारणीय विकास लक्ष्य ___ 37

4.4. भारत में खाद्य अपव्यय ___ 41

4.5. सड़क सुरक्षा: भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2016 ___ 42

VISION IAS

1. सुभेद्य वर्गों से सम्बंधित मुद्दें

(ISSUES RELATED TO VULNERABLE SECTIONS)

1.1. महिलाओं से सम्बंधित मुद्दें

(Issues Related to Women)

1.1.1. तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

(SC Ruling on Triple Talaq)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 22 अगस्त को संविधान पीठ ने सायरा बानो मामले में निर्णय देते हुए त्वरित तीन तलाक'(instant triple talaq) (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को 3:2 के बहुमत से अमान्य घोषित कर दिया।

2002 के **शमीम आरा मामले** के बाद भी इस निर्णय की आवश्यकता क्यों?

- 2002 के मामले में, उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस त्वरित तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। हालाँकि यह केवल उसी स्थिति में अवैध था जब इसे भली-प्रकार घोषित न किया गया हो एवं उसके बाद सुलह के प्रयास न किए गए हों।
- 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद ने मसूद अहमद मामले में निर्णय दिया कि एक बार में बोले गए तीन तलाक को केवल एक ही तलाक गिना जाएगा।
- यह नवीनतम निर्णय तलाक-ए-बिद्दत को पूर्णतया एवं बिना किसी शर्त के अवैध घोषित करता है।
- अब केवल तलाक की कुरान सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से ही मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकेगा।

निर्णय के सकारात्मक परिणाम

- यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 में प्रदान किए गए मूल अधिकारों का समर्थन करते हुए **समानता सुनिश्चित करता है।** इस निर्णय से यह स्पष्ट किया गया कि समानता के अधिकार में स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध अधिकार भी सम्मिलित है। इस प्रकार यह घोषित करता है कि ऐसे अपरिवर्तनीय तत्काल तीन तलाक असंवैधानिक हैं, जिसके बाद सुलह के प्रयास भी नहीं किए जाते।
- यह मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय **सुनिश्चित करता है,** क्योंकि तीन तलाक प्रक्रिया में उनकी सामाजिक स्थिति और गरिमा का हनन होता था ।
- यह अनुच्छेद 15 एवं 16 में प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुरूप लिंग आधारित **भेदभाव को समाप्त करता** है।
- **मूल संवैधानिक प्रावधानों** की रक्षा करता है ,क्योंकि यह घोषणा करता है कि *पर्सनल लॉ* व्यक्तियों के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
- यह विधिक एवं धार्मिक मामलों के जानकार मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा **मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना किये जाने को प्रोत्साहित करता है,** जिससे मुस्लिम दम्पत्तियों को वैवाहिक विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान में सहायता मिल सके।

इस निर्णय के विरुद्ध तर्क

- यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रदत्त **संवैधानिक संरक्षण के विरुद्ध** है क्योंकि *ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड* के अनुसार तीन तलाक 1400 वर्ष पुरानी प्रथा है।

VISION IAS

- **अस्थिर बाहरी सुधार-** तलाकशुदा दंपत्तियों के बीच वैवाहिक संबंधों को पूर्ववत स्थिति में लाने में हमेशा समस्याएँ रहेंगी, क्योंकि इसे समाज द्वारा अनुचित एवं अवैध समझा जाता है। इसलिए लोगों को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है।
- ***ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड* (AIMPLB) द्वारा आंतरिक सुधारों का वादा किया गया था-** बोर्ड ने आचार संहिता जारी करने एवं शरीयत (इस्लामी कानून) वर्णित कारणों के बिना तलाक देने वालों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की चेतावनी देने का निर्णय किया था।
- **न्यायिक परिधि के बाहर–** "धर्म की गूढ़ बातों का निर्धारण करना" न्यायालय का कार्य नहीं है। साथ ही यह भी विवाद है कि 1937 के *मुस्लिम पर्सनल लॉ* (शरीयत) एक्ट ने तलाक-ए-बिद्दत को वैधानिक कानून के रूप में संहिताबद्ध नहीं किया है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 13 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
- **इस्लामी कानून के कई मतों होना-** उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया यह मामला हनाफी कानून के संबंध में है,क्योंकि शायरा बानो हनाफी हैं।इसलिए न्यायालय को आदर्श रूप से आधिकारिक हनाफी ग्रन्थों का परीक्षण करना चाहिए और यह मत इस प्रथा को वैध मानता है।

संविधान का अनुच्छेद 26 न केवल "प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय" अपितु "उस संप्रदाय के प्रत्येक पंथ" को भी धर्म के मामलों में स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस प्रकार हनफी पंथ को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

निष्कर्ष

- आशा की जाती है कि यह निर्णय इस्लाम के मूल स्रोतों की संरचना के अंतर्गत रहते हुए इस्लाम की आधुनिक व्याख्याओं का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा *मुस्लिम पर्सनल लॉ* में सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करेगा।
- लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम जनसामान्य को इस विषय में आश्वस्त करना होगा कि तलाक-ए-बिद्दत की समाप्ति शरीयत के विरुद्ध नहीं है। इसके विपरीत इससे यह इस्लाम के सिद्धांतों के और भी निकट आया है।
- सामान्य रूप से यह निर्णय निम्नलिखित मुद्दों पर वाद-विवाद को जन्म देगा -
  - देश में धर्म आधारित *पर्सनल लॉ,* जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न स्थिति प्रदान की गयी है।
  - संवैधानिक कानून बनाम सामाजिक मानदंड।
  - धर्म की स्वतंत्रता एवं अन्य मूल अधिकारों के बीच टकराव की समस्या का समाधान।

1.1.2. दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग

(Misuse of Anti-Dowry Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय दंड संहिता की धारा 498a** के अंतर्गत किये गए दहेज विरोधी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक सुरक्षा उपायों का आदेश दिया है।

धारा **498a** में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी चाहे वह महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार, अगर महिला पर अत्याचार करता है तो उसे अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। वह जुर्माने का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यह दहेज विरोधी कानून से अलग है।

धारा 304B दहेज के कारण होने वाली मृत्यु से संबंधित है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- जहाँ दहेज संबंधित 96% मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किये गए थे, वहीं केवल 14.4% मामलों में ही दोषसिद्धि हुई है।
- 2015 में विभिन्न निर्णयों में यह पाया गया कि लोगों द्वारा दहेज विरोधी प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। इसी कारण सरकार आपराधिक न्याय में सुधार पर **विधि आयोग और न्यायमूर्ति मलिमथ समिति** के सुझावों के आधार पर धारा 498a में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करना चाहती है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परिवर्तन

- सर्वोच्च न्यायालय ने **शिकायत दर्ज करने के लिए एक "सख्त "व्यवस्था की** आवश्यकता को स्वीकार किया है ताकि "अनावश्यक शिकायतों" को रोका जा सके।
- न्यायालय ने **नागरिक समाज की भागीदारी और जांच अधिकारियों को संवेदनशील** बनाने पर जोर दिया है।
- न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न की शिकायतों की छान-बीन के लिए प्रत्येक जिले में **परिवार कल्याण समितियों** की स्थापना करने का आदेश दिया।ये समितियाँ **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों** द्वारा स्थापित की जाएंगी।इस समिति में तीन सदस्य शामिल हो सकते हैं।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष भी होता है। इनके द्वारा **समिति की समीक्षा** समय-समय पर एवं कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य की जायेगी।
- समितियों का गठन *पैरा लीगल वालन्टियर* सामाजिक कार्यकर्ताओं/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/सेवारत अधिकारियों की पत्नियों/ योग्य एवं इच्छित अन्य नागरिकों को शामिल करने के माध्यम से किया जा सकता है।
- पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा 498a के तहत प्राप्त शिकायतें अनिवार्य रूप से समिति को सौंपी जानी चाहिए। समिति उन पर विचार करेगा एवं रिपोर्ट सौपेगा। जब तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए तब तक सामान्य रूप से कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।
- ऐसी शिकायतों की जाँच **करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ज़रूर होना चाहिए**। इसे जमानत संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।
- जब तक आवश्यक न हो, **परिवार के सभी सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति** आवश्यक नहीं होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा वीडियो के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है।
- छह महीने तक मामलों की समीक्षा करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सुधारों पर रिपोर्ट पेश की जा सकती है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये दिशा-निर्देश ऐसे अपराधों में लागू नहीं होंगे जिनमें गंभीर (tangible) शारीरिक चोट पहुँची हो या मृत्यु हुई हो।

दहेज विरोधी कानून 1961

- यह दहेज देने एवं लेने का निषेध करने संबंधी कानून है।
- इसमें कुछ राज्यों द्वारा पारित किए गए **दहेज विरोधी कानूनों को समेकित** किया गया था।
- यदि कोई व्यक्ति दहेज देता-लेता या दहेज देने या लेने के लिए उकसाता है तो इस कानून की **धारा 3** में दंड का प्रावधान किया गया है।
- इसमें दहेज को, विवाह के लिए दी गई या दिए जाने पर सहमत किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह विवाह के समय दिए गए उपहारों पर लागू नहीं होता है।

सकारात्मक पक्ष

- दहेज उत्पीड़न से संबंधित झूठे मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परिव ्तन लंबे समय से प्रतीक्षित थे।

VISION IAS

- दहेज उत्पीड़न के मामलों का अनेक लोगों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। इनमें सबसे पहले भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का ही नाम आता है।
- गिरफ्तार करने की कार्यवाही मात्र को भी सजा के रूप में माना जा सकता है। कोई भी किसी व्यक्ति को जाँच पूरी होने से पहले दंडित नहीं कर सकता है। इस प्रकार की स्थितियों को टालने में ये दिशा-निर्देशक प्रभावी होंगे।

नकारात्मक पक्ष

- यह निर्णय कागजी रूप से प्रभावी लग रहा है लेकिन ज़मीनी वास्तविकताओं के संदर्भ में उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि कि कई वास्तविक(genuine) मामलों में भी न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया कष्टसाध्य रही है और इसमें अत्यधिक विलम्ब हुआ है।
- यह परिवार कल्याण समिति के गठन के संबंध में भी काफी अस्पष्ट है। दहेज उत्पीड़न के मामले काफी संवेदनशील होते हैं इसलिए ऐसे मामलों को प्रशिक्षित विधिक अधिकारियों या न्यायिक अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए।

498A: WOMEN SHIELD BECOMES WEAPON?

Year	Cases filed	Cases false/ in bad law
2011	99,135	10.193
2012	1,06,527	10,235
2013	1,18,866	10,864

Source: NCRB data, 2013

- इन दिशानिर्देशों के कारण भारतीय समाज में विद्यमान इस सबसे बड़ी बुराई से लड़ने के लिए आवश्यक सशक्त कानून के निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

1.1.3. महिला आरक्षण विधेयक

(Women Reservation Bill)

सुर्खियों में क्यों

सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हो जायेगी।

राज्य स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- राज्य स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति गंभीर है। राज्यों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व अनुपात लगभग 7% है।
- उदाहरण के लिए नागालैंड या मिज़ोरम में कोई भी महिला विधायक नहीं हैं। अन्य निम्नतम महिला प्रतिनिधित्व वाले राज्य जम्मू और कश्मीर (2.27%), गोवा (2.5%) और कर्नाटक (2.65%) हैं।
- भारत में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधियों वाले राज्य हरियाणा (14.44%) है, उसके बाद पश्चिम बंगाल (13.95%), राजस्थान (13.48%) और बिहार (11%) हैं।

पृष्ठभूमि

- विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों और पितृसत्तात्मक परंपराओं के कारण महिलाएं ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बहिष्कार की स्थिति में रहीं हैं। इसके कारण स्वतंत्रता के 70 वर्ष पश्चात् भी देश की राजनीतिक एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है।
- लोकसभा में महिलाओं का अनुपात 1951 में **4.4% से बढ़कर 2014 में 11%** हो गया है। इस गति से लैंगिक संतुलन की स्थिति प्राप्त करने में 180 वर्ष लग जायेंगे।
- **महिलाओं को सक्रिय बनाने में पंचायत में दिया गया आरक्षण,** अपेक्षा से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। इसके द्वारा उच्च निकायों ,जैसे राज्य विधानमंडलों और संसद में आरक्षण की आवश्यकता को बल मिला है।
- लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थानों को आरक्षित करने के उद्देश्य से राज्यसभा में **सविंधान संशोधन (108वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया**। हालांकि, 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया।

VISION IAS

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
- संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी ही इन आरक्षित सीटों का आवंटन करेगा।
- लोकसभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों का एक तिहाई इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित आवर्तन (Rotation) द्वारा आरक्षित सीटें आवंटित की जायेंगी।
- इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष पश्चात् महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जायेगा।

गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (1996) की अनुशंसायें

- 15 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण।
- एंग्लो इंडियंस के लिए उप आरक्षण (sub-reservation) को शामिल करना।
- जिन राज्यों में लोकसभा में सीटें तीन से कम है (या SC / ST के लिए तीन से कम सीटें है), वे भी आरक्षण में शामिल हैं।
- दिल्ली विधान सभा में भी आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू होगा।
- राज्यसभा और विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण।
- संविधान द्वारा आरक्षण व्यवस्था को OBC तक विस्तारित करने के पश्चात्, OBC महिलाओं के लिए उप-आरक्षण प्रदान किया जाये।
- महिला विधेयक में, **पहली चार सिफारिशों को शामिल किया गया व अंतिम दो को छोड़ दिया गया था।**

संसदीय स्थायी समिति (2008) की सिफारिशें

- प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कुल टिकटों का 20% महिलाओं को वितरित करना होगा।
- वर्तमान में भी, कुल सीटों का 20% से अधिक आरक्षित नहीं होना चाहिए।
- OBC और अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं के लिए एक हिस्सा निर्धारित होना चाहिए।
- राजनैतिक दलों द्वारा सीटों के एक न्यूनतम प्रतिशत के लिए महिलाओं को नामांकित करना आवश्यक होगा।
- द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए, एवं ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में दो सीटों में से एक सीट महिला के लिए आरक्षित होगी।

चुनौतियाँ

- स्थानीय और विविध परिस्थितियों का आंकलन किये बिना, केंद्र द्वारा **सभी के लिए एक समान रूप से निर्मित नीतियाँ**, कारगर नहीं रही हैं। नागालैंड में स्थानीय निकायों में आरक्षण और अनुच्छेद 371 (A) के तहत वहां की अद्वितीय संस्कृति को संरक्षित करने हेतु प्रदान किये गए संवैधानिक संरक्षणों के बावजूद नागालैंड में होने वाले आंदोलनों से यह तथ्य स्पष्ट होता है।
- **महिलाओं को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के अयोग्य ठहराने वाला** : यह महिलाओं की असमानता की स्थिति को बनायें रखेगी,क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा योग्य नहीं माना जाएगा।
- **महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाव**: इस नीति के कारण चुनाव सुधार संबंधी बड़े मुद्दों, जैसे कि राजनीति का अपराधीकरण और दलों में आंतरिक लोकतंत्र, से ध्यान भटकता है।
- **चयन का अधिकार**: संसद में सीटों का आरक्षण, मतदाताओं के लिए केवल महिला उम्मीदवारों का ही विकल्प उपलब्ध करवाता है।

VISION IAS

- **भाई-भतीजावाद/पक्षपात को बढ़ावा**: जिन राजनीतिज्ञों का निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आरक्षण द्वारा केवल उनकी पत्नियों एवं बेटियों को बढ़ावा मिल सकता है, जो विधेयक के उद्देश्य के विपरीत है।
- **पंचायत पति सिंड्रोम**: पुरुष अपनी निर्वाचित पत्नियों के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं।

प्रासंगिकता

- **राजनीतिक सशक्तिकरण**: महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, निर्णय/नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का अनिवार्य कानूनी प्रयास है। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगी तथा प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रस्तावित, राजनीतिक न्याय की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- **सामाजिक सशक्तिकरण**: संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सभी स्तरों पर महिलाओं के पिछड़ेपन का प्राथमिक कारक है। अतः, महिलाओं को सामाजिक-लैंगिक बाधाओं को पार करने और उनके समकक्षों के समान स्तर/समान अवसर देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।
- **समानता प्राप्त करने के लिए**: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च जातियों की महिलाओं के साथ उचित प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- **सच्चे लोकतान्त्रीकरण के लिए** :आरक्षण एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जिसका जन्म लोकतंत्रीय प्रक्रिया को समावेशी बनाने और सामाजिक री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को संपन्न करने की प्रक्रिया में हुआ है। नीति निर्माण तंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

पंचायत में आरक्षण के सकारात्मक प्रभाव :

- पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण के माध्यम से वे अर्थपूर्ण योगदान करने में सक्षम हुई हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व 42.3% यानी आरक्षण प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसने सरकार को स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रेरित किया है।
- पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और प्रदर्शन, मुख्यतः उनके लिए सीटों के सांविधिक आरक्षण के कारण, सुनिश्चित हो सका है।

पंचायत चुनावों में आरक्षण

- संविधान संशोधन (73वें और 74वें संशोधन) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन कानून के अनुसार, सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- हालांकि,16 राज्यों में ऐसे कानून हैं, जो महिलाओं के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों में 50% सीटें आरक्षित करते हैं।

आगे की राह

- **उच्च सदन में आरक्षण प्रदान करना:** संविधान के तहत संसद और राज्य विधान मंडलों के उच्च सदन को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी हैं। अतः, राज्य सभा एवं विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए, महिलाओं को भी संसद के तथा राज्य विधान मंडलों के द्वितीय या उच्च सदन में पर्याप्त स्थान मिल सके।
- **समाज का समावेशी विकास:** यह प्रमाणित है कि राजनीतिक आरक्षण ने, आरक्षण से लाभान्वित समूहों के पक्ष में संसाधनों के पुनर्वितरण को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार, चुनी हुईं महिलाएं महिला मुद्दों से सम्बंधित सार्वजनिक संसाधनों में अधिक निवेश करती हैं।

- **संविधान के सिद्धांत की रक्षा के लिए**: विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के मुद्दे को राजनीतिक दलों के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपितु इसे संविधान के तहत सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा सभी संभव तरीकों से कार्यान्वित भी किया जाना चाहिए।
- **एक प्रारंभिक कदम के रूप में विधेयक:** विधेयक एक मात्र समाधान नहीं है,बल्कि यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। विधेयक केवल राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए सिद्धांत/मूल रूपरेखा को स्पष्ट करता है ।

1.2. अन्य मुद्दें

(Other Issues)

1.2.1. बच्चों में मोटापे की समस्या

(Childhood Obesity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में किशोरों की जीवनशैली के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों, शारीरिक गतिविधियों एवं खान-पान शैली के संबंध में एक अध्ययन किया गया।

अन्य तथ्य

- मोटापे की समस्या से ग्रस्त बच्चों की 15.3 मिलियन संख्या के साथ चीन इस सूची में सबसे उच्च स्थान पर है।
- भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है।यहाँ अधिक वजन वाले बच्चों की 14.4 मिलियन संख्या मौजूद है।
- विश्व के 70 से अधिक देशों में 1980 के बाद से मोटापे से संबंधित मामले दोगुने हो गये है।
- कई देशों में वयस्क में मोटापे की समस्या से संबंधित मामलों की तुलना में बच्चों में मोटापे की समस्या के मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- भारतीय किशोर वर्ग को जीवनशैली के कारण उत्पन्न रोगों के विषय में उचित जानकारी है। इसके बावजूद, उनके द्वारा इनसे बचने के उपाय नहीं अपनाए जाते हैं। अतः किशोरों में ज्ञान एवं व्यवहार के स्तर पर अंतर है।
- लगभग 82% किशोर कार्डियोवैस्कुलर रोगों (CVDs) को अपने लिए जोखिम नहीं मानते हैं। जो जोखिम मानते हैं भी हैं, उनकी आहार संबंधी आदत भी स्वस्थ्य जीवन शैली के अनुरूप नहीं हैं।
- अनुपयुक्त आहार आदते अधिक आयु के समृद्ध वर्ग के बालकों में निम्न या मध्यम वर्ग परिवारों के बच्चों की तुलना में अधिक विद्यमान थी।
- लगभग 20% प्रतिभागियों में CVDs के वंशानुगत लक्षण (family history) देखे गये जबकि अधिकांश को CVDs के विषय में बहुत कम जानकारी थी।
- बालकों में शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की प्रवृति अधिक देखी गयी है (लगभग 1 घंटे प्रतिदिन की पर्याप्त शारीरिक गतिविधि)। इसके साथ ही उन लोगों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिली जो जोखिम के बारे में जागरूक थे।

बच्चों में मोटापे की समस्या से किस प्रकार निपटा जाए?

- **जागरुकता–** इन रोगों से संबंधित, विद्यालय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ताकि इस मिथक को दूर किया जा सके कि CVDs केवल अधिक आयु वर्ग के लोगों की ही समस्या है।
- **जीवनशैली में परिवर्तन–** खान-पान शैली एवं शारीरिक गतिविधि में परिवर्तन के माध्यम से।

VISION IAS

- नमक, चीनी एवं वसा की उच्च मात्रा वाले अस्वास्थ्यकर भोज्य पदार्थों के **विपणन एवं प्रचार का विनियमन**।इस क्रम में विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करते हुए निर्मित किए जाने वाले पदार्थों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **लेबलिंग–** डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैक के सामने के भाग को विविध घटकों के विषय में आवश्यक जानकारी देने हेतु प्रयोग करना चाहिए तथा मानकीकृत वैश्विक पद्धति के अनुसार पोषक तत्वों की लेबलिंग की जानी चाहिए। इससे स्वास्थ्यकर भोज्य पदार्थों एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल सकता है।
- **उच्च कर** शुगर-स्वीटेन्ड पेय पदार्थों पर उच्च करों का अधिरोपण करना।

मोटापे की समस्या से निपटने के लिए भारत में चुनौतियाँ

- निम्नस्तरीय मानक– वसा युक्त खाद्य पदार्थों (फैट स्प्रेड), हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों इत्यादि में ट्रांस-वसाओं की 5% स्वीकृति (वजन के आधार पर) का मानक वैश्विक सर्वोत्तम मानकों की तुलना में उच्च है। अनेक देश तो लगभग शून्य मानक की ओर बढ़ रहे हैं।
- विज्ञापनों संबंधी विनियमन का अभाव- नॉर्वे और ब्राजील में प्रचलित सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विपरीत वर्तमान में विज्ञापन प्रसारण तथा सेलिब्रिटी विज्ञापनों के विनियमन संबंधी प्रावधानों का अभाव है।
- लेबलिंग से संबंधित मूलभूत विनियमन का अभाव– पोषण संबंधी वर्तमान लेबलिंग में नमक/सोडियम, सम्मिलित की गई चीनी की मात्रा एवं संतृप्त वसाओं आदि की घोषणा अनिवार्य रूप से नहीं की जाती है। एक बार में (*पर सर्व*) ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा के संबंध में घोषणा करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। प्रति 100 ग्राम उत्पाद के साथ इसे वैकल्पिक रूप से घोषित करने का प्रावधान है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2015 में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) हेतु मोटापे की समस्या के नियंत्रण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये। इसके बावजूद विद्यालयों द्वारा मोटापे को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करने और स्वस्थ भोजन व जीवन शैली को बढ़ावा देने के विषय में कोई नीतिगत दिशा-निर्देश नहीं अपनाये गये है।
- हालाँकि शुगर-स्वीटेन्ड पेय पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर में इस वर्ष वृद्धि की गयी है किन्तु देश भर में मूल्यो पर इसका वास्तविक प्रभाव अभी प्रदर्शित नहीं हुआ है।

बच्चों से संबंधित मोटापे की समस्या को नियंत्रित करने के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से , WHO ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर NCD(2013-2020) ,WHO कोम्प्रेहेंसिवे इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर मैटरनल ,इन्फेंट ,यंग चाइल्ड न्यूट्रीशन आदि से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

1.2.2. सामाजिक बहिष्कार विधेयक

(Social Boycott Bill)

सुर्खियों में क्यों?

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम, 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

सामाजिक बहिष्कार क्या है?

यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य सदस्य या समूह को किसी भी सामाजिक या धार्मिक रीति या सामुदायिक समारोह में भाग लेने से रोकने का प्रयास करता है तो इस कार्य को सामाजिक बहिष्कार के सामान माना जाएगा।

VISION IAS

इसे अपराध की श्रेणी में क्यों रखा जाना चाहिए?

- इससे पीड़ित व्यक्तियों को अधिक निडर होकर बहिष्कार के विरूद्ध कानूनी उपायों को अपनाने में मदद मिलेगी।
- इससे कुलीन वर्ग द्वारा शक्ति का दुरूपयोग नियंत्रित होगा तथा जाति पंचायतों के फ़रमानों या प्रथाओं के नाम पर होने वाली ऑनर किलिंग जैसी सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगेगी।
- इससे अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।
- यह राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत गरिमा को सरंक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करे तथा नग्न घुमाने अथवा निष्कासन इत्यादि जैसी घटनाओं को होने से रोके।
- इससे सामाजिक विभाजन पर आधारित हिंसा पर रोक लगेगी तथा पीड़ितों एवं गवाहों को पुनर्वास तथा संरक्षण प्रदान करने में मदद मिलेगी।

अधिनियम के प्रावधान

- यह किसी व्यक्ति या जाति पंचायत जैसे समूह द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामाजिक बहिष्कार का निषेध करता है।
- इस क़ानून में सामाजिक बहिष्कार को एक संज्ञेय लेकिन जमानती अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसमें सात साल तक की सजा या 5 लाख रु. का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- चार्ज शीट दायर होने के छः महीने के अंदर मामलें की सुनवाई पूरी होनी चाहिए।

अधिनियम का महत्व

- इस कानून को बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। यह कानून गाविक या जाति पंचायत जैसी समानांतर न्याय प्रणाली के विरूद्ध है। यह अधिनियम, अन्य राज्यों को भी ऐसे प्रावधान करने के लिए प्रेरित करेगा।
- यह अधिनियम नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

मुद्दे

- सामाजिक बहिष्कार मौखिक आदेश के आधार पर किया जाता है इसलिए इसे न्यायालय में साबित करना मुश्किल होता है।
- सामाजिक बहिष्कार एक सामाजिक-सांस्कृतिक विषय भी है जिसका समाधान मात्र कानूनी प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता।

1.2.3. घरेलू कामगार एवं संरक्षण की आवश्यकता

(Domestic Help And Need of Protection)

निहित मुद्दे

- भारत **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के** कन्वेंशन 189 का हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है, जो घरेलू कामगारों के लिए काम की उचित परिस्थितियां प्रदान करने का आदेश देता है। लेकिन, इसने अभी भी इसकी पुष्टि नहीं की है।
- 93% **कार्यबल** असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। यही कारण है कि अधिकांश लोग श्रम कानूनों की परिधि से बाहर है।
- इससे अधिक, 2011 में NSSO द्वारा जारी डेटा के अनुसार घरेलू कामगारों की संख्या 3.9 मिलियन है।
- भुगतान के आधार पर कार्य करने वाले घरेलू कामगारों को मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936) या कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (1923) या ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) की परिधि **से अभी भी बाहर रखा गया है।**
- असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (UWSSA) एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), 2013 सरकार की **एकमात्र ऐसी दो पहले हैं** जो घरेलू कामगारों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती हैं।

घरेलू कामगार कल्याण विधेयक 2016 का मसौदा

- यह *इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लेबर* के आधार पर घरेलू कामगारों के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है।
- *डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ़ डोमेस्टिक वर्कर* के अंतर्गत नियोक्ता और कामगार का अनिवार्य पंजीकरण।
- रोजगार संविदा को भरने और सत्यापन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिकों के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना।
- अवयस्क घरेलू कामगार को नियोजित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली हो ।
- यह सामाजिक सुरक्षा निधि के रखरखाव के लिए नियोक्ता से उपकर के संग्रह को अनिवार्य बनाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के तहत घरेलू कामगारों को शामिल करना।
- यह कार्यों का प्रकार, प्रति घंटे, पार्ट टाइम वर्क, फूल टाइम, और लिव-इन वर्क जैसे अनेक कार्यों को विनियमित करने का प्रयास करता है।

सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक

- **संकटग्रस्त प्रवासन (Distress migration):** घरेलू कामगार सबसे पिछड़े क्षेत्रों खासकर आदिवासी समुदाय से आते हैं। विनियामकीय ढांचे की कमी के कारण, युवा बालिकाओं के शहरी क्षेत्रों में शोषण की संभावना बढ़ जाती है।
- **घरेलू काम को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कम महत्त्व देना:** घरेलु क्षेत्र से बाहर स्थित कार्यस्थलों पर वेतन प्राय: ज्यादा होते हैं।
- **श्रम का लैंगिक आधारों पर क्षेत्रीय विभाजन:** घरेलु कार्यों को अभी भी महिलाओं के कार्यक्षेत्र के रूप में देखा जाता है। हमारी संस्कृति में यह एक सामान्य धारणा है कि महिलाएं घरेलू कार्य के लिए ज्यादा उपयुक्त होती हैं।

चुनौतियाँ

- घरेलू कामगारों की बढ़ती संख्या ने कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी की है। इस प्रवृति में 2008 के बाद और तेज़ी हुई है।
- घरेलू कामगारों द्वारा किये जाने वाले कार्यो जैसे:- भोजन बनाना, सफाई, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि कार्यो को राज्य विधायिका द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
- परिभाषा और स्पष्टता की कमी ने कर्मचारी और नियोक्ता के बीच की रेखा को धुंधला बना दिया है। इसी कारण दोनों के मध्य पेशेवर संबंध न रहकर सामंती संबंध बन जाते है।
- कार्य की प्रकृति के आधार पर किए जाने वाले वेतन की गणना काफी जटिल होती है जो कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल के सामान्य वर्गीकरण का विरोध करती है।
- इसके अतिरिक्त, वेतन की दरों को घरेलू कामगारों की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। जहाँ बाजार में उनकी मांग बढ़ती जा रही है, वही उन्हें इसके लिए न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है।
- सरकार घरेलू काम के विनियमन करने में इस आधार पर संकोच करती है कि कार्यस्थल एक निजी घर होता है जिसका राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।

1.2.4. OBC आरक्षण

(OBC Reservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूनियन कैबिनेट ने इसका परीक्षण करने के लिए **अनुच्छेद 340** के अंतर्गत एक आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण (OBC) की केंद्रीय सूची के अंतर्गत उप-कोटा बनाए जाने की आवश्यकता है। यह उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्यविधि, मापदंडों, प्रतिमानों और मानदंडों को भी नियत करेगी।

VISION IAS

- कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु क्रीमी लेयर की ऊपरी सीमा को मौजूदा 6 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
- क्रीमी लेयर के निर्णय को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव सरकार की कार्यसूची में था।
- लोक सभा में एक सरकारी विधेयक पारित किया गया था जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 340

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं -

- भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं एवं उन कठिनाइयों की जांच करने हेतु जिसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं।
- संघ या किसी भी राज्य द्वारा ऐसी कठिनाइयों का निराकरण करने एवं उनकी दशा में सुधार करने के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों की अनुशंसाएं करने के लिए।
- संघ या किसी राज्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुदानों की अनुशंसा करने हेतु।

आयोग के विचारार्थ विषय

- केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों की व्यापक श्रेणी में सम्मिलित जातियों/ समुदायों के बीच लाभों के अन्यायपूर्ण असमान वितरण का परीक्षण करने के लिए।
- ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित कार्यविधि, मापदंड, मापक और प्रतिमान निर्धारित करने के लिए।
- अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदायों की पहचान करना एवं उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करना।

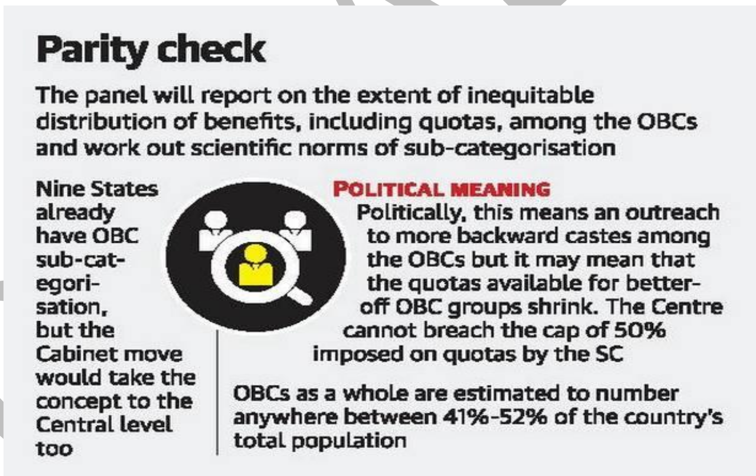

उप-कोटा के पक्ष में तर्क

- पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने 2011 में इसी प्रकार का प्रस्ताव दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय इंद्रा साहनी मामले में दिए अपने आदेश में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि पिछड़े वर्गों को श्रेणीबद्ध करने के लिए राज्य हेतु कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है।

समता जांच

पैनल अन्य पिछड़े वर्गों के बीच कोटा समेत लाभों के असमानतापूर्ण वितरण की स्थिति पर रिपोर्ट देगा एवं उप-वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण करेगा।

नौ राज्यों में पहले से ही अन्य पिछड़े वर्ग का उप-वर्गीकरण है, किंतु मंत्रिमंडल का यह कदम इस अवधारणा को केन्द्रीय स्तर तक भी ले जाएगा।

राजनीतिक अर्थ

राजनीतिक रूप से इसका अर्थ OBC's कोटे के लाभों में अन्य पिछड़े वर्गो की और अधिक पहुँच से है लेकिन इसका अर्थ यह हो सकता है कि बेहतर स्थिति वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे में कमी आएगी। केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोटा प्रणाली पर लगाई गई 50% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

एक अनुमान के आधार पर देश में संयुक्त रूप से अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 41-52% है।

उप-कोटा लागू किए जाने के संभावित प्रभाव

- यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य पिछड़े वर्ग की प्रभुत्वशाली जातियाँ सभी लाभ प्राप्त न करें क्योंकि सर्वाधिक पिछड़े OBC समूह सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक सीटों आदि के लिए बेहतर स्थिति प्राप्त OBC वर्गों के स्थान पर आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
- यह ऐसे राजनीतिक मंथन को उत्तेजित कर सकता है जिससे कि गैर- प्रभुत्वशाली जातियाँ संगठित हो सकती हैं, कुछ लोगों द्वारा इसे भारतीय राजनीति के लिए मंडल 2.0 घटना के रूप में देखा जा रहा है है।
- यह अन्य पिछड़े वर्गों के बीच अधिक उन्नत जातियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है क्योंकि उप-श्रेणी कोटा केवल 27% कोटा में से ही आ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर 50 % तक की ऊपरी सीमा अधिरोपित की गई है।

1.2.5. भारत में युवाओं से सम्बंधित मुद्दे

(Issues Related to Youth in India)

वर्तमान में, विश्व की युवा जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है। 2011 में, कुल आबादी में युवाओं की संख्या 34.8% थी। 2020 तक भारत की कुल आबादी में युवाओं का हिस्सा 34.33% होने का अनुमान है। युवाओं की क्षमता का, समाज के विकास के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। अतः, उनकी आकांक्षाओं एवं समस्याओं को समझने और मानव संसाधनों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े

- 1991 के बाद से **घटता लिंगानुपात** - यह 2011 में घटकर 939 हो गया है और विश्व बैंक के अनुसार 2021 तक घटकर 904 हो जाने का अनुमान है।
- 15-19 वर्ष की आयु वर्ग में **विवाहित महिलाओं** की संख्या 1961 में 69.57% से 2011 में घटकर 19.47% रह गई हैं।

युवाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **शिक्षा** - हमारे युवा अच्छी शिक्षा और अर्थपूर्ण पेशेवर अवसरों के लिए लालायित हैं, लेकिन उनकी शिक्षा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। हाल ही में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, 80% अभियंता (इंजीनियर) आवश्यक कौशलों की कमी के कारण बेरोज़गार हैं।
- **बेरोज़गारी** - युवाओं में, समस्त जनसँख्या की तुलना में, बेरोज़गारी की दर (15-29 वर्ष) बहुत अधिक थी। ग्रामीण युवाओं की तुलना में शहरी युवाओं में बेरोज़गारी दर अधिक थी। अतः, युवा हतोत्साहित हैं, क्योंकि उनके द्वारा रोज़गार प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित होने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों का निवेश किया गया है। परन्तु उन्हें रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाया है। वास्तव में, भारत में 15-29 आयु वर्ग के 30% युवाओं को रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है।
- **अपराध** - यदि उनकी ऊर्जा (क्षमता) का सही जगह उपयोग नहीं होती है, तो वे नशीले पदार्थों के उपयोग जैसे अपराधों और सामाजिक बुराइयों का शिकार हो सकते हैं। यद्यपि अधिकांश अपराध, युवाओं द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं, जिसका कारण उनकी अधिक् शारीरिक क्षमता है, तथापि, डकैती, चोरी आदि जैसे गंभीर अपराधों में अपराधियों के उम्र के अनुसार वर्गीकरण के लिए कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- **आत्महत्या** - आत्महत्या के संदर्भ में युवा वर्ग (18 और ऊपर - 30 वर्ष से कम) सबसे अधिक संवेदनशील होता है। पुलिस द्वारा दर्ज़ आत्महत्या के कुल मामलो में, 33% मामले युवा वर्ग से संबंधित थे । 2015 में 'पारिवारिक समस्याएं' और 'बीमारी' आत्महत्या के प्रमुख कारण थे।

- **आतंकवाद** - गरीबी,भूख,बेरोज़गारी आदि जैसे मुद्दों के कारण अधिक युवाओं ने हिंसा या विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में चरमपंथी गतिविधियों को अपनाया है।
- **अन्य मुद्दे** -इनमें भेदभाव के विविध और जटिल स्वरूप, हिंसा, और विकास एवं रोज़गार की संभावनाओं के सीमित अवसर, आदि शामिल हैं। प्रायः युवाओं को निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है, जिसके कारण सामान्यतः उनके द्वारा सार्वजनिक गतिविधियों/हित (civil engagement) के लिए अपारम्परिक मार्गों को अपनाया जाता है।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- **राष्ट्रीय युवा नीति (NYP) 2014 –** इसके तहत 'युवा' को 15-29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। यह भारत के युवाओं के लिए एक समग्र 'दृष्टिकोण' प्रस्तुत करता है। इसमें 5 उद्देश्यों के तहत विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गयी है (जैसा कि आंकड़ो में दिखाया गया है)।

Objectives	Priority Areas
1. Create a productive workforce that can make a sustainable contribution to India's economic development	1. Education 2. Employment and skill development 3. Entrepreneurship
2. Develop a strong and healthy generation equipped to take on future challenges	4. Health and healthy lifestyle 5. Sports
3. Instil social values and promote community service to build national ownership	6. Promotion of social values 7. Community engagement
4. Facilitate participation and civic engagement at all levels of governance	8. Participation in politics & governance 9. Youth engagement
5. Support youth at risk and create equitable opportunity for all dis-advantaged and marginalised youth	10. Inclusion 11. Social justice

- **कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति-** देश में की जाने वाली सभी कौशल विकास संबंधी गतिविधियों के लिए एक समग्र (अम्ब्रेला) ढांचा प्रदान करने हेतु, और इन्हें सामान्य मानकों के साथ संरेखित करने एवं डिमांड केंद्रों के साथ कौशल-विकास को जोड़ने के लिए, 2015 में **कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति** अपनाई गयी।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)**- यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने संबंधी कौशल विकास योजना है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-** उत्पादक कार्यबल के सृजन, आजीविका में वृद्धि एवं विविधता लाने, कृषि में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने, ग्रामीण युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा स्टार्ट-अप के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु *स्टार्टअप विलेज आन्ट्रप्रनर्शिप प्रोग्राम* (स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम) के तहत इस मिशन को आरंभ किया गया है।
- **जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम (*ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम:* TYEP)** - इस कार्यक्रम में, आदिवासी युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाने, विकास गतिविधियों से अवगत कराने तथा देश के अन्य भागों के लोगों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, देश के अन्य भागों में ले जाया जाता है।
- **राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम *(नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट:* NPYAD) -** यह युवाओं और किशोरों के विकास हेतु गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकारी/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक समग्र (*अम्ब्रेला*) योजना है।

- **किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना (AHDP)** - इसमें स्कूली शिक्षा से वंचित किशोरों के सशक्तिकरण के लिए उनमें बेहतर रोज़गार योग्यताओं का विकास करना तथा जीवन में आवश्यक कौशलों का विकास करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में युवाओं के अनुकूल और लैंगिक रूप से संवेदनशील सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
- **विभिन्न विकास कार्यक्रम-** *नेशनलकैडेट कॉर्प्स* (NCC), *नेशनल सर्विस स्कीम* (NSS), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), *नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम* (NYLP), पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मद्यपान निवारण के लिए जागरूकता और शिक्षा पर परियोजना आदि जैसे कई युवा विकास कार्यक्रम। प्रधान मंत्री रोज़गार निर्माण कार्यक्रम और युवाओं के विकास में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए योजनाएं।

आर्थिक रूप से युवाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बेरोज़गार युवाओं की समस्या केवल कौशल विकसित करने या निवेश आकर्षित करके ही हल नहीं की जा सकती है। नीतिगत स्तर पर, कौशल विकास, उद्यम निर्माण और रोज़गार सृजन की प्रयास एक साथ किये जाने चाहिए। विशेषकर जब आवश्यक कौशल का स्वरुप, नई प्रौद्योगिकियों और नए प्रकार के उद्यमों के साथ परिवर्तित होता रहे। कौशल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कई अन्य मंत्रालयों को अपने चेम्बरों से बाहर निकलकर टीम इंडिया के रूप में कार्य करना चाहिए।

1.3. भारत में भिक्षावृति पर कानून

(Laws on Beggary in India)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा भिक्षावृति पर एक नए व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

'भिक्षुक' कौन हैं?

2011 की जनगणना के आधार पर देश भर में 400,000 से ज्यादा बेसहारा लोगों को भिक्षुक, अभावग्रस्त व्यक्तियों आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में इनकी संख्या 41% कम हुई। 2001 में भिक्षुकों की संख्या 6.3 लाख दर्ज की गई थी। (लेकिन यह आंकड़ा विवादास्पद है तथा सरकार मानती है इनकी संख्या का कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है। सामजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के आँकड़े भिक्षुकों की संख्या को बताने में असमर्थ रहे हैं।)

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भिक्षावृति और अभावग्रस्त व्यक्तियों (destitutes) के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है और अधिकतर राज्यों ने बम्बई भिक्षावृति रोकथाम अधिनियम, 1959 को अपनाया हुआ है।
- भिक्षावृति भारत के 21 राज्यों (उत्तराखंड सहित जिसमें हाल ही में भिक्षावृति को प्रतिबंधित किया है) और दो केंद्र शासित प्रदेशों में एक अपराध है। इसे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाता है।
- 2013 में अभावग्रस्त व्यक्ति (प्रशिक्षण, समर्थन और अन्य सेवाएं) विधेयक नामक एक ड्राफ्ट तैयार किया गया तथा इसे महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया गया था। इस विधयेक में अत्यधिक संवेदनशील परिस्थितियों में अभावग्रस्तता को मान्यता प्रदान की गयी। इसके साथ ही उनके प्रति संवैधानिक कर्तव्य तथा साथ ही उनकी संवेदनशीलताओं को संबोधित करने का भी प्रावधान किया गया है।
- 2016 में सामाजिक न्याय औरअधिकारिता मंत्रालय ने निराश्रयित व्यक्तियों के लिए अभावग्रस्त व्यक्ति (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) मॉडल बिल 2016 नामक एक नया मसौदा प्रस्तुत किया।
- हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब देते हुए अपने एक साल पहले के विचार से यू-टर्न लेते हुए कानून के जरिए भिक्षावृति को आपराधिक श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव त्याग दिया।

बम्बई भिक्षावृति रोकथाम अधिनियम, 1959

- यह भिक्षावृति को एक सामाजिक मुद्दे के बजाय अपराध के रूप मे स्वीकार करता है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास "निर्वाह का कोई प्रत्यक्ष साधन" नहीं है तथा सार्वजनिक स्थान पर वह "घुमक्कड " के रूप में भटकता है तो उसे भिखारी माना जा सकता है। भिक्षावृति के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष की अवधि और दूसरी बार अपराध के लिए 10 साल तक की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
- न्यायालय उन सभी लोगों को भी हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है जो कि भिक्षावृति करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हैं।

वर्तमान कानूनों से सम्बंधित मुद्दे

- **पुलिस की शक्तियां-** यह कानून पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है तथा राज्य अधिकारियों को किसी व्यक्ति को भिक्षुक घोषित करने और बिना परीक्षण के उन्हें कैद करने की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।
- **भिक्षुक और बेघर के बीच कोई भेद नहीं-** यह न केवल गरीब भिखारियों को बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों, छोटे पुस्तक विक्रेताओं, कूड़ा बीनने वाले, गायन, नृत्य इत्यादि द्वारा थोड़े बहुत पैसे कमाकर जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को भी शामिल करता है।
- **बाल न्याय अधिनियम, 2015 से विरोधाभास-** यह कानून बाल भिखारियों को "देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों" के रूप में स्वीकारता है। इसके अंतर्गत बाल कल्याण समितियों के माध्यम से समाज में उनके पुनर्वासन और समावेशन का प्रावधान किया गया है। जबकि भिक्षावृति कानून में इसे अपराध माना गया है।
- **संवैधानिक अधिकार-** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक भिखारी या किशोर या आश्रित रहने वाले व्यक्ति को जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। भिक्षावृति उन लोगों के जीवन निर्वाह के साधनों में से एक है और इसे तभी समाप्त किया जाना चाहिए जब इसके स्थान पर अन्य विकल्प उपलब्ध हों।
- **विभिन्न परिभाषाएं-** उदाहरण के लिए- कर्नाटक और असम में भिखारियों की परिभाषा से धार्मिक साधुओं को बाहर रखा गया है जबकि तमिलनाडु में गली के कलाकारों, कवि, बाजीगर और सड़क के जादूगरों को भिक्षावृति कानून से बाहर रखा गया है।

अभावग्रस्त व्यक्ति (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) मॉडल बिल 2016 में किए गए परिवर्तन

- **अधिकार आधारित दृष्टिकोण-** यह अभावग्रस्त व्यक्तियों को राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **भिक्षावृति को दोषमुक्त करना-** यह अपराधों के दोहराव के अतिरिक्त भिक्षावृति को क़ानूनी बनाता है। इसमें अभावग्रस्त व्यक्तियों को अपराधी मानने के बजाय, उन लोगों पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान किया गया है जो लोग संगठित भिक्षावृति व्यवसाय समूह चलाते हैं।
- **अभावग्रस्त व्यक्तियों की पहचान करना-** प्रत्येक जिले में भ्रमण करने वाली या सुगम्य इकाइयों की स्थापना के माध्यम से अभावग्रस्त व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले लोगों की पहचान करना तथा उनकी सहायता करना।
- **भिक्षुकों का पुनर्वास करना-** प्रत्येक जिले में योग्य डॉक्टरों, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं से युक्त पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से भिक्षुकों का पुनर्वास करना। बिहार जैसे कुछ राज्यों द्वारा ऐसे कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- **रेफरल(सम्प्रेषण) समितियों की स्थापना-** अभावग्रस्त व्यक्तियों की जरूरतों की पहचान करते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार संबंधित संस्थानों जैसे चिकित्सा सेवाओं, आश्रय, रोजगार के अवसर आदि तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।
- **परामर्श समितियों की स्थापना-** उनके साथ बातचीत करना और उनकी वरीयताओं के अनुसार विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनाने में उनकी सहायता करना। यह उनके कौशल में वृद्धि करेगा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनायेगा।
- **निगरानी और सलाहकार बोर्ड का गठन-** योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय और सरकार को परामर्श, संरक्षण, कल्याण और विधियों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने हेतु।

आगे की राह

राज्य को अभावग्रस्त व्यक्तियों(destitutes) के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो ऐसे व्यक्तियों को गरीबी के कारण दंडित करने के बजाय उनकी गरिमा का सम्मान करता हो। इस प्रकार मौजूदा भिक्षावृति कानूनों को निरसित किया जाना चाहिए और लोक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कानूनों के साथ-साथ मनरेगा की तर्ज पर भिक्षुकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

- उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता का प्रसार करना चाहिए जैसे कि **गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता** का अधिकार।
- **भिक्षुको को स्मार्ट कार्ड और आधार संख्या प्रदान करना-** जनगणना में आसानी से सम्मिलित करने, आसान ट्रैकिंग, सहजता से बैंक खाते खोलने और कम लागत वाली बीमा पॉलिसियां तथा उनके कल्याण के लिए नीतिगत योजनाओं हेतु।
- **डाटा बैंक का निर्माण** - आगंतुक समितियों(विज़िटिंग कमेटी) के माध्यम से समय-समय पर इन संस्थानों में पुनर्वास, परामर्श संस्थान आदि की स्थिति को ट्रैक करने के लिए।
- भिक्षुक गृह से बाहर आने के बाद **समाजिक समावेशन** में उनके द्वारा अनुभव की जा रही चुनौतियों का सामना करने में सहायता करने के लिए **कौशल प्रशिक्षण**।
- **व्यक्तियों और अधिकारियों को संवेदनशील बनाना** - भीख मांगने के बारे में लोकप्रिय धारणा है कि यह आसानी से पैसा कमाने का पसंदीदा तरीका है। इसे बदलने और लोगों को उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
- **भोजन तक पहुंच-** उन्हें भोजन का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- सड़क पर भोजन और वस्त्रों को अपमानजनक तरीके से लोगों को देने के बजाय राज्य को भूख के लिए एक हेल्पलाइन प्रदान करनी चाहिए जिसके तहत किसी भी भूखे व्यक्ति को कहीं भी भोजन मिल सके।
- सरकार को विभिन्न हितधारकों जैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, यातायात पुलिसकर्मियों आदि को शामिल करके कार्य करना चाहिए।

2. स्वास्थ्य एवं रोग

(HEALTH AND DISEASES)

2.1 राष्ट्रीय पोषण रणनीति

(National Nutrition Strategy)

सुर्खियों में क्यों?

नीति आयोग के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा 10 सूत्री पोषण कार्य योजना (*न्यूट्रीशन एक्शन प्लान*) तैयार की गयी है जिसमें **"कुपोषण मुक्त भारत- विज़न 2020"** की दृष्टि से शासन प्रणाली में सुधार शामिल हैं।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

- **कुपोषण,** किसी व्यक्ति द्वारा गृहीत ऊर्जा और/या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन को दर्शाता है। कुपोषण को स्थितियों के अनुसार दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।
- प्रथम समूह '**अल्पपोषण'** है- जिसमें *स्टंटिंग* (अल्प विकास या उम्र की तुलना में कम लम्बाई), *वेस्टिंग* (लम्बाई की तुलना में कम वजन), कम वजन (उम्र की तुलना में कम वजन) और **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अपर्याप्तता** (महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज तत्वों की कमी) शामिल हैं।
- द्वितीय समूह **अत्यधिक वजन** है- जिसमें मोटापा और आहार से संबंधित गैर-संचारी रोग (जैसे हृदय रोग, *स्ट्रोक*, मधुमेह और कैंसर) सम्मिलित हैं।

पृष्ठभूमि

- **संविधान के अनुच्छेद 47 में यह उल्लेख किया गया है कि** "राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर में वृद्धि करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाये।"
- देश में मातृ एवं बाल अल्पपोषण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए 2010 में **भारत में पोषण चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुशंसित** राष्ट्रीय पोषण मिशन को 2014 में शुरू किया गया था।
- '***ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट* 2016'** यह प्रदर्शित करती है कि स्थायी कुपोषण (chronic malnutrition) से निपटने में हुई समग्र प्रगति के मामले में भारत का स्थान 132 देशों में से 114वाँ है।
- सरकार ने हाल ही में **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017** का प्रारूप तैयार किया है। इसमें कई अन्य मुद्दों के साथ-साथ कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निजात पाने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप तथा बच्चों एवं किशोरों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

इस रणनीतिक रिपोर्ट में सुधार के रुझान तथा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता को प्रदर्शित किया गया है।

- एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग एक-तिहाई बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त भारत में श्रमबल को 9% से 10% की आर्थिक हानि सिर्फ इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि उनका बचपन कुपोषण से पीड़ित रहा था।
- *ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट* 2015 का अनुमान है कि कम और मध्यम आय वाले 40 देशों के लिए पोषण में निवेश पर लागत से लाभ अनुपात 16:1 है।
- **कुपोषण (अल्पपोषण और अतिपोषण) के दोहरे बोझ** को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में संबोधित करते हुए यह माना गया है कि अतिपोषण एक उभरती हुई समस्या है और गैर-संचारी बीमारियों की परेशानी से सम्बंधित है।
- *नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे*-4 (NFHS-4) के आँकड़ों के अनुसार करीब 58.4% बच्चे *एनीमिया* से प्रभावित हैं।
- पिछले एक दशक में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में, जहाँ अल्प विकास और कम वजन की व्यापकता में कमी आई है तथा वहीं दूसरी ओर वेस्टिंग के रुझानों में वृद्धि हुई है।

VISION IAS

- निम्न BMI वाली महिलाओं की संख्या 35.5% (NFHS-3) से कम होकर 22.9% (NFHS-4) के स्तर पर आ गयी है।
- कुल मिलाकर यह देखा गया है कि महिलाओं और लड़कियों में *एनीमिया (रक्ताल्पता)* के स्तर में स्थिरता आई है जो NFHS-3 के 55.3% से घटकर NFHS-4 में 53% हो गया है।
- महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों जैसे कि विटामिन A, आयरन, आयोडीन और जिंक की कमी के साथ-साथ प्रोटीन और ऊर्जा की कमी अभी भी यथावत बनी हुई है।
- LANCET (2013) के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के करीब आधे (45%) बच्चों की मृत्यु का कारण मातृ एवं बाल अल्पपोषण है। इनमें से अनेक ज़िंदगियाँ प्रभावी पोषण हस्तक्षेप के जरिए बचाई जा सकती हैं।
- 12-23 महीने आयु वर्ग के पूर्णतः प्रतिरक्षित (अर्थात् वे बच्चे जिन्हें BCG, ख़सरा के टीके लगे हों तथा पोलियो और DPT की 3 खुराक प्राप्त की हो) बच्चों की संख्या NHFS-3 के 43.5% से बढ़कर NFHS-4 में 62% हो गई है।
- *एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन* (ARI) के लक्षणों का प्रसार NFHS-3 के 5.8% से घटकर NFHS-4 में 2.7% हो गया है।
- WHO का अनुमान है कि 50% कुपोषण अतिसार (दस्त) के बार-बार होने या आंतों में कृमि संक्रमण से सम्बद्ध होता है। ये समस्याएं असुरक्षित पानी, अपर्याप्त सेनिटेशन या स्वच्छता के अभाव के कारण उत्पन्न होती हैं।

SDG- 17 सतत विकास लक्ष्यों (*सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स:* SDG) में से कम से कम 12 में ऐसे संकेतक हैं जो पोषण से किसी न किसी रूप में सम्बंधित हैं। यह दर्शाता है कि पोषण, सतत विकास सुनिश्चित करने आधार है। उदाहरणस्वरुप-

लक्ष्य 1- सभी जगह से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना।

लक्ष्य 2- भूखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा बेहतर पोषण और सतत कृषि को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 3- स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 4- समावेशी, निष्पक्ष तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 5- लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।

लक्ष्य 6- सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।

MISSING NUTRITION TARGETS

Indicator	Rate (in %)	Global Rank (lower is better)	Asia Rank	Position of nutrition indicators compared to World Health Assembly targets
Under 5 stunting	38.7	114th out of 132	34th out of 39	Off track
Under 5 wasting	15.1	120th out of 130	35th out of 38	Off track
Under 5 overweight	1.9	11th out of 126	6th out of 37	On track
Anemia in Women	48.1	170th out of 185	45th out of 47	Off track
Exclusive breastfeeding	46.4	48th out of 141	12th out of 40	Insufficient data
Adult overweight/obesity	22	21st out of 190	10th out of 47	Off track
Adult diabetes	9.5	104th out of 190	16th out of 47	Off track

Source: Global Nutrition Report 2016

VISION IAS

राष्ट्रीय पोषण नीति के प्रावधान

- **2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम किया जाएगा** और इसके साथ ही शिशुओं, बच्चों, लड़कियों, गर्भवती महिलाओं आदि सहित सबसे कमजोर एवं महत्त्वपूर्ण आयु वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
- **पोषण के चार आसन्न निर्धारक-** पोषण रणनीति में एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है जिसमें अल्पपोषण को कम करने हेतु पोषण के चार आसन्न निर्धारक- स्वास्थ्य सेवा, भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता तथा आय एवं आजीविका मिलकर कार्य करते हैं।
- **2030 तक अल्पपोषण में कमी-** एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में इस रणनीति का उद्देश्य 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण के स्तर को धीरे-धीरे कम करना है।
- **राष्ट्रीय पोषण मिशन-** पोषण रणनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समान एक राष्ट्रीय पोषण मिशन को प्रारम्भ करना है। इससे महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, भोजन और सार्वजनिक वितरण, स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में पोषण-संबंधी हस्तक्षेप को समावेशित करना संभव हो सकेगा।
- **विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण:** राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता के साथ-साथ अधिक लचीलापन लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गयी है। इस दृष्टिकोण के पीछे पोषण रणनीति का उद्देश्य पोषण उपक्रमों पर PRI तथा शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व को सुदृढ़ करना है। इसका कारण यह है कि PRI को जो विषय हस्तांतरित किये गए हैं वे अल्पपोषण के तत्काल और अंतर्निहित निर्धारक हैं उदाहरण के लिए स्वच्छता, जल इत्यादि।
- **अभिशासनात्मक सुधार:** इस रणनीति के अंतर्गत परिकल्पित अभिशासन संबंधी सुधारों में शामिल हैं: (i) ICDS, NHM और स्वच्छ भारत के लिए राज्य और जिला कार्यान्वयन योजनाओं को समरूप बनाना (ii) बाल कुपोषण के उच्चतम स्तर वाले जिलों के सबसे कमज़ोर समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना और (iii) प्रभाव के साक्ष्य के आधार पर सेवा वितरण मॉडल।
- **न्यूट्रीशन सोशल ऑडिट:** बच्चों और उनके स्वास्थ्य की प्रगति को ट्रैक करने के लिए न्यूट्रीशन सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर वेबसाइट और आवश्यक एप्लीकेशंस बनाए जाएँगे।
- **राष्ट्रीय पोषण निगरानी प्रणाली *(नेशनल न्यूट्रीशन सर्विलांस सिस्टम)*-** इसके अंतर्गत देश के सर्वाधिक कुपोषित क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा। जिससे 'उच्च जोखिम वाले और संवेदनशील जिलों' की पहचान की जा सके। बच्चों में अल्प पोषण के तहत होने वाले गंभीर मामलों को *रेगुलर डिज़ीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम* में शामिल किया जाना चाहिए।
- **बाह्य समूह द्वारा आकलन-** उपलब्धियों का आकलन करने की प्रक्रिया में बाह्य टीम द्वारा मूल्यांकन के साथ-साथ छमाही/तिमाही में समुदाय-आधारित प्रक्रियाएँ शामिल होंगी। इससे बाल पोषण की स्थिति और महत्वपूर्ण संकेतकों की पुष्टि की जा सकेगी।
- **बहुआयामी हस्तक्षेप में समरूपता लाना:** इससे राष्ट्रीय पोषण मिशन का बेहतर नियोजन और क्रियान्वयन हो सकेगा। इसमें दोनों प्रकार के हस्तक्षेप-प्रत्यक्ष (पोषण केन्द्रित) और अप्रत्यक्ष (पोषण के प्रति संवेदनशील) हस्तक्षेप सम्मिलित हैं (जैसा कि राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में परिकल्पित किया गया था)।

आगे की राह

- ऐसा माना जाता है कि पोषण **मानव विकास, गरीबी में कमी और आर्थिक विकास की दिशा में सबसे प्रभावी आरंभिक बिंदु है** और इसमें निवेश करने से भारी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
- इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में सभी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ भारतीय नागरिक समाज एक बुनियादी आवश्यकता है।
- यह रणनीति वर्ष 2012 में *वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन* के माध्यम से अनुमोदित वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी है। जो कि माता, शिशु और युवा बच्चों के पोषण के लिए एक व्यापक कार्यान्वयन योजना के लिए प्रतिबद्ध है।

2.2.खरीद प्रबंधन में विफलता

(Failure in Procurement Management)

खरीद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण भागों में से एक है। स्वास्थ्य सेवा बजट का लगभग 26% भाग दवाइयों, टीकों और चिकित्सा आपूर्ति की खरीद पर खर्च होता है। खरीद में अक्षमता से इनमें कमी और अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणामस्वरूप विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वेंडर द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में कटौती के कारण उत्तरप्रदेश में बच्चों की मौत। सार्वजनिक खरीद प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **अल्प बजट और विलम्ब-** अल्प बजट, निविदाओं के निपटारे में विलम्ब, भुगतान न करना या देय राशि का विलम्ब से भुगतान करना आदि के कारण चिकित्सा आपूर्ति में विलम्ब होता है। कई अवसरों पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी में 6-12 महीने तक का विलम्ब हो जाता है।
- **विशेषज्ञता की कमी-** डॉक्टरों को खरीद अधिकारियों की भूमिका देने के कारण आपूर्ति मात्रा का गलत निर्धारण तथा निविदा के निर्णय में विलंब हो जाता है। डॉक्टर का एकमात्र कार्य मरीजों और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए।
- **सन्निहित भ्रष्टाचार-** विभाग द्वारा खरीद करने वाली एजेंसी को कमीशन देना पड़ता है तथा प्रक्रिया की अपारदर्शिता के कारण कटौती परिवर्तित होती रहती है।

Tamil Nadu

- A centralized offline procurement system to procure essential drugs, special drugs, surgical items, sutures, veterinary drugs and equipment.
- Equipment is purchased by the equipment division of the Tamil Nadu Medical Services Corp. Ltd (TNMSC). The respective directorates provide a list of required equipment with clear specifications to the corporation after approval from the government.
- The decision on prices of drugs is based on the National Pharmaceutical Pricing Authority and Drug (Prices Control) Order standard rates.
- TNMSC acts as a mediator in negotiating prices, and all the payments are made online.

- **अपर्याप्त निगरानी-** डेटा का मैन्युअल संग्रह तथा उचित भंडारण और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए किसी भी विश्वसनीय सूचना प्रणाली का अभाव है। जिससे खरीद की मात्रा के अनुमान में विलम्ब होता है।

उठाये जा सकने वाले कदम

- पारदर्शिता बनाये रखने तथा सेवा वितरण में विलम्ब से बचने के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष भुगतान हस्तांतरण तथा ई-निविदा को लागू करना।
- दवाओं तथा विभिन्न गोदामों में उनके भंडारण का समय ट्रैक करने हेतु कार्यात्मक और ऑनलाइन MIS (मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम्स) लागू करना।
- स्मार्ट कार्ड, भुगतान स्वीकृति, रोगियों के रिकॉर्ड तथा उपयोग दरों के बारे में पूछताछ को ट्रैक करने के लिए मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली।
- सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों से सीखना चाहिए जैसे कि तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड (TNMSC) पिछले 15 वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसकी तर्ज पर एक केन्द्रीय खरीद एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि में भी अच्छे खरीद मॉडल हैं, जिनसे सीखा जा सकता है।
- WHO द्वारा जनसंख्या की आवश्यकता तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुसार लागत प्रभावी ढंग से धनराशि आवंटित करने के लिए रणनीतिक खरीद की वकालत की गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण लोग निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं। प्रत्येक वर्ष करीब 6 करोड़ लोग भारत में स्वास्थ्य सेवा बिलों के कारण निर्धनता की चपेट में आ जाते हैं। यही कारण है कि बीमार होने के बावजूद 20% से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के अलावा निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए:

VISION IAS

- **लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व तय करना-** अब तक सार्वजनिक अस्पतालों का अधिकारियों के लिए बहुत कम महत्व है जबकि विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति मुख्य रूप से निजी चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर रहते है। इस रवैये को बदला जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।
- प्राथमिकता निर्धारण में, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी में **सार्वजनिक भागीदारी** सुनिश्चित करनी चाहिए। यह अपने क्षेत्र में उपलब्धता, लागत और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनायेगी।
- **क्षमता निर्माण-** अधिक डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि WHO के निर्देशानुसार देश में लगभग 5 लाख डॉक्टरों की कमी है। वर्तमान शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ निजी प्रैक्टिस जारी रखते हैं जिससे वे मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित नही कर पाते हैं। इसके लिए ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कि केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित करें।
- **बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि करना** - अब तक केवल चिकित्साकर्मियों का वेतन बढ़ाया जाता रहा है जबकि दवा आपूर्ति, उपकरण, अवसंरचना और रखरखाव पर खर्च में कमी आयी है।

2.3. जिला अस्पतालों में चयनित सेवाओं का निजीकरण

(Privatisation of Select Services in District Hospitals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग एवं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शहरी भारत (विशेष रूप से टियर 2 एवं 3 शहरों) में गैर-संचारी रोगों के उपचार में निजी अस्पतालों की भूमिका बढ़ाने के लिए मॉडल अनुबंध का प्रस्ताव किया है।

पृष्ठभूमि

- **नेशनल हेल्थ पालिसी डोक्युमेंट (2017)** स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देता है। इसके अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संयुक्त जिम्मेदारी है।
- भारत में निजी क्षेत्रक ने 'हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम' में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी आरम्भ कर दी है।
- उपयोग पद्धति के अध्ययन से पता चलता है कि सामान्यतः व्यक्ति निजी हेल्थकेयर सुविधाओं को वरीयता देता है। साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि के कारण हेल्थ केयर की गुणवत्ता, लागत, निष्पक्षता और दक्षता संबंधी चिंतायें भी उत्पन्न हो गयी है।

योजना के तहत प्रस्तावित सुविधाएँ

- यह भारत के आठ सबसे बड़े महानगरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में निजी अस्पतालों को जिला अस्पताल भवन के कुछ हिस्सों और भूमि पर **30 वर्ष के पट्टे के लिए** बोली लगाने की अनुमति प्रदान करता है। यह प्रावधान 50-100 बिस्तर के अस्पताल स्थापित करने के लिए किया गया है।
- यह योजना **एस्क्रौ अकाउंट** का प्रावधान भी करती है। इसके द्वारा निजी प्रदाताओं के लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति में संभावित विलंब की समस्या के समाधान हेतु किया जाएगा।
- इस सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत केवल तीन गैर-संचारी रोगों - हृदय रोग, फेफड़े के रोग, और कैंसर के लिए हेल्थकेयर सुविधा प्रदान की जाएगी।
- निजी भागीदार, इमारतों के नवीनीकरण एवं सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निवेश करेगा और संचालन प्रबंधन और सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार द्वारा *वाइअबिलटी गैप फंडिंग* प्रदान की जा सकती है।
- वित्तीय संरचना के सिद्धांत के तहत, इन सुविधाओं में **आरक्षित बेड या नि:शुल्क सेवा संबंधी कोई कोटा** नहीं होगा।

सकारात्मक पक्ष

- स्वास्थ्य के लिए अवसंरचना और मानव संसाधन की कमी के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत आबादी को हेल्थकेयर के लिए निजी सेवाएँ लेनी पड़ रही है। PPP मॉडल को अपनाए जाने और निजी प्रतिभागियों को शामिल करने से इस क्षेत्र की **अवसंरचना में सुधार** हो सकता है।
- देश के अधिकांश अस्पतालों में क्षमता की कमी होने की स्थिति में, 50-100 बेड के विस्तार से सेवाओं में वृद्धि की जा सकेगी। यह जिला स्तर पर पहुँच विकसित करने में और राज्य स्तर पर तृतीयक सुविधाओं पर दबाव कम करने में भी सहायता करेगा।
- यह आम आदमी के लिए निदान, उपचार और हेल्थकेयर आउट ऑफ़ पॉकेट पर व्यय करने की मज़बूरी को दूर करेगा।
- जिला स्वास्थ्य प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जाँच केंद्रों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं उपक्रमों से रेफर किये गए मामले इन निजी अस्पतालों तक पहुँच सकें और उनका इलाज हो सके।

समस्याएँ .

- निजी प्रदाता **विशेष रूप से ऐसे सबसे आकर्षक जिलों का चयन करने** लगेंगे जहाँ रोगियों की भुगतान करने की क्षमता उच्च है। इसलिए वे निर्धन और दूरस्थ जिलों का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ देंगे व सम्पन्न जिलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करेंगे। यह प्रस्ताव हेल्थकेयर सेवाओं की उपलब्धता में **असमानता की स्थिति को और भी अधिक गम्भीर बनाएगा।**
- यह भी संभव है कि इस योजना से हजारों रोगियों को निजी सेवा **प्रदाताओं के अनैतिक आचरणों**, सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता करने के साथ ही अनावश्यक अतिरिक्त 'टॉप-अप सेवाओं' से संबंधित समस्या का सामना करना पड़े।
- हॉस्पिटल केयर संबंधी कार्यों की निजी सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्सिंग समय के साथ अवहनीय होती जाएगी क्योंकि वे प्रतिपूर्ति और फीस की माँग में वृद्धि करते जाएँगे।
- प्रस्ताव के अनुसार अधिकतर रोगियों को सार्वजनिक सुविधाओं में भी हेल्थकेयर के लिए भुगतान करना होगा।
- इस नीति की नागरिक समाज और विशेषग (academia) वर्ग के सदस्यों से परामर्श न करने के कारण भी आलोचना की जा रही है।
- नीति आयोग के इस प्रस्ताव के अंतर्गत सार्वजनिक परिसंपत्तियों को लाभ हेतु कार्य करने वाली कम्पनियों को सौंपा जा रहा है। इसे **सरकार द्वारा कर्तव्य त्याग** के रूप में देखा जा सकता है।

आगे की राह

- हॉस्पिटल केयर संबंधी कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंपने के प्रस्ताव को इस तर्क से उचित ठहराया जाता है कि सार्वजनिक सेवाएँ हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी कमी का सामना कर रहा हैं।
- इस सरल उपाय से हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सहित, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में होने वाले निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।
- यह निर्णय सार्वजनिक संस्थानों की क्षमता पर संशय पर आधारित है। इस संशय को दूर किये जाने की आवश्यकता है।

2.4. परिवार नियोजन की नयी पहल: मिशन परिवार विकास

(New Family Planning Initiatives: Mission Parivar Vikas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **विश्व जनसंख्या दिवस पर** (जुलाई 11, 2017) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मिशन परिवार विकास का शुभारम्भ किया।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) IV के डेटा अनुसार, जनसंख्या के 12.9% भाग की गर्भ निरोधकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे अवांछित जन्मों में वृद्धि होती है।
- TFR को कम करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि TFR प्रत्यक्ष रूप से मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) से अनुपातिक रूप से सम्बद्ध है।

VISION IAS

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

- 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य। (दीर्घकालिक लक्ष्य को संशोधित करके **2070** कर दिया है।)
- गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देखभाल के मूलभूत ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करना।
- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराना।
- मातृ मृत्यु दर : '100 प्रति एक लाख जन्म' से नीचे।
- शिशु मृत्यु दर: प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के लिए 30।
- **कुल प्रजनन दर: 2.1 (2010 तक का प्रतिस्थापन दर).**
- MMR को कम करने के लिए 80% संस्थागत प्रसूति के लक्ष्य को प्राप्त करना
- बच्चों के सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- लड़कियों के देरी से विवाह को प्रोत्साहित करना, 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं और 20 वर्ष के बाद प्राथमिकता देना।
- अनिवार्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।
- TFR का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए छोटे परिवारों के आदर्श को प्रोत्साहित करना।
- सामजिक क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कन्वर्जेन्स।

कुल प्रजनन दर (प्रतिस्थापन स्तर)

यह कुल प्रजनन की वह दर (प्रति महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या) है जिससे बिना प्रवास किये ही, जनसंख्या स्वयं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पूर्णतः प्रतिस्थापित कर देती है।

मिशन परिवार विकास

- इसका लक्ष्य सात राज्यों के 146 जिलों की कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करना है। यह देश की कुल जनसंख्या का 28% है।
- इस मिशन में **RMNCH+A रणनीति,** *फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम* (FP-LMIS) और परिवार नियोजन पर उपभोक्ता-अनुकूल वेबसाइट का उपयोग किया जायेगा।
- पहुँच में सुधार के लिए निम्नलिखित माध्यमों से रणनीतिक रूप से फोकस किया जायेगा ;
  - **सेवाओं का प्रावधान:** नवविवाहित जोड़ों को एक किट **(नयी पहल)** वितरित की जाएगी। इसमें परिवार नियोजन और निजी स्वच्छता के उत्पाद सम्मलित होंगे।
  - ***कमोडिटी सिक्योरिटी:*** यह नसबंदी सुविधाओं में वृद्धि करेगा, उप-केंद्र स्तर पर *इंजेक्टेबल* गर्भ निरोधकों की उपलब्धता बढ़ाएगा और कंडोम व गोलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।
  - **प्रमोशनल योजनाएँ: 'सारथि–*अवेयरनेस ऑन व्हील्स*'** नामक विशेष बसें जागरूकता बढ़ाने, समुदायों को संवेदनशील बनाने और परिवार नियोजन संदेशों के प्रसार का काम करेंगी।
  - **क्षमता निर्माण** : प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में मान्यताओं और दृष्टिकोणों में अंतर कम करने के लिए '**सास-बहु सम्मेलन**' आयोजित किये जायेंगे।
  - **सक्षम बनाने वाला परिवेश: आशा कार्यकर्ता** पति-पत्नी के बीच संवाद बढ़ाने, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर सहमति बनाने, पहला बच्चा देरी से और दूसरे बच्चे के बीच अंतर लाने को प्रोत्साहित करेंगी।
  - **गहन निगरानी: उच्च प्रजनन** दर के कारणों का पता लगाया जाएगा। कार्यक्रम की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा के द्वारा उपलब्धियों का समय के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जायेगा।

RMNCH+A क्या है?

- इसे प्रजननशील माताओं, नवजातों, बच्चों तथा किशोरों के स्वास्थ्य के लिए 2013 में रणनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया था।
- यह जीवन के विभिन्न चरणों पर समान फोकस सुनिश्चित करने के लिए देखभाल सेवाओं को निरन्तरता प्रदान करेगा।
- **राष्ट्रीय लौह+पहल (National Iron+ initiative)** के माध्यम से अनीमिया की समस्या का समाधान करेगा।

परिवार की सरंचना में नए रुझान:

- 2001 की जनगणना के अनुसार, 19.31 करोड़ में से 9.98 करोड़ या 51.7% परिवार 'एकल परिवार' थे। 2011 की जनगणना में यह हिस्सा बढ़ कर 52.1% अर्थात 24.88 परिवारों में से 12.97 करोड़ परिवार एकल परिवार हो गया।
- नया रुझान विभिन्न समाजशास्त्रियों के मत के विपरीत है। इन समाजशास्त्रियों का मानना है कि एकल परिवारों की वृद्धि दर तेज़ी से बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ सुसंगत है और स्थायी दर से बढ़ रही है।
- शहरों में एकल परिवारों में आनुपातिक गिरावट आई है। अब लोग विस्तारित परिवारों (extended families) में रहने का चयन कर रहे हैं।
  - **कारण:** महँगी शहरी सुविधाएँ, आवास की कमी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के विघटन के बढ़ने के संकेत हैं। वहाँ एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है और शहरी क्षेत्रों की तुलना में संयुक्त परिवारों की संख्या में तेजी से गिरावट हो रही है।
  - **कारण:** भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन, प्रवासन और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की उपलब्धता।

एकल (न्यूक्लियर) परिवार का सरकारी वर्गीकरण

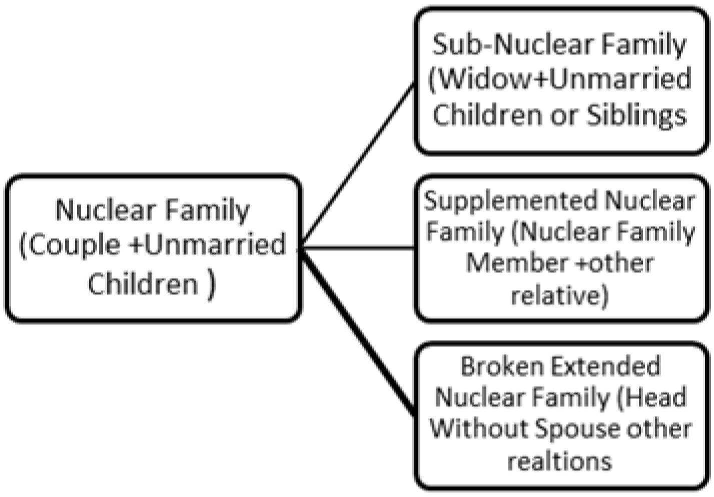

निष्कर्ष

- जनसंख्या गतिकी (population dynamics) का संधारणीय विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जनसंख्या वृद्धि दर और आयु सरंचना में परिवर्तन, राष्ट्रीय और वैश्विक विकास चुनौतियों व उनके समाधानों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त, मिशन परिवार विकास परिवार, नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक प्रयास है। इसके साथ ही, यह संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG-3) के भाग के रूप में संयुक्तराष्ट्र के स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने का भी एक साधन है।

2.5. फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर

(Family Participatory Care)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु **फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर (FPC)** की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

- FPC पहल को **नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI)** के अंतर्गत शुरू किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण करके तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उपयोग में सुधार लाकर नवजात और शिशु मृत्यु दर को कम करना है।

FPC की आवश्यकता क्यों है?

- बढ़ते संस्थागत प्रसव और नवजात देखभाल के कारण पारिवारिक सहभागिता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
- विभिन्न आंकड़ों से पता चलता है कि नवजात देखभाल इकाई से छोड़े जाने वाले कुल नवजात शिशुओं में से 10 प्रतिशत शिशु केवल एक वर्ष तक जीवित रहते हैं।
- प्रति वर्ष भारत में पैदा होने वाले 27 लाख शिशुओं में से लगभग 13% (3.5 मिलियन) समय से पहले और 28% (7.6 मिलियन) कम वजन के साथ जन्म लेते हैं, जिससे नवजात काल में उनकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- अस्पताल में भर्ती होने के कारण बीमार नवजात शिशु अपनी मां से अलग हो जाता है जिससे माताओं में तनाव का उच्च स्तर, असहायता पैदा होती है और अपने बच्चे के संबंध में निर्णय लेना सीमित हो जाता है।

फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर (FPC) क्या है?

FPC का अर्थ नवजात शिशु देखभाल सुविधाओं में देखभाल प्रदान करने और निर्णय लेने में भागीदारों के रूप में बीमार और समय पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं के परिवार को सम्मिलित करना है।

FPC के लाभ

Family	Newborn	Staff
• Greater parent and family satisfaction • More informed parents • Better coping with stress and anxiety • Enhanced parent-infant attachment and bonding • Improved breastfeeding rates • Better confidence and mental health among mothers • Better communication between parents and health staff	• Better weight gains • Shorter length of hospital stay • Higher breast feeding rates before discharge • Improved long term outcomes • Reduced need for rehospitalization	• Work sharing • Better quality of care • Better allocation of resources

FPC की क्रियाशीलता

- स्वच्छता बनाए रखने और कर्मचारियों को सतर्क करने या बच्चे के साथ कुछ भी असामान्य गतिविधियों की निगरानी के लिए माता-पिता या परिचारक (Attendants) को विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (SNCU) से जोड़ा गया है।
- SNCU माता-पिता को कंगारू देखभाल (बच्चे के सामने वाले भाग और मां की छाती के बीच **त्वचा से त्वचा संपर्क**) के बारे में संवेदनशील बनाएगा।

- FPC संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नवजात शिशु देखभाल में माता-पिता और परिचारकों की क्षमता निर्माण करने में मदद मिलेगी।
- इसके दिशा-निर्देशों में अवसंरचनाओं का निर्माण करने, व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने और ASHA कार्यकर्ताओं के माध्यम से विस्तारित देखभाल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- FPC कार्रवाई की पहल **इंडिया न्यू-बोर्न एक्शन प्लान (INAP) 2014** के लिए एक उपकरण होगा।

इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान (India New Born Action Plan)

- इसके अंतर्गत 2030 तक नवजात शिशु मृत्यु दर और मृत प्रसव दर (Stillbirth Rate) को एकल अंकों में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मौजूदा फ्रेमवर्क प्रजननात्मक, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) में कार्यान्वित किया गया है।
- इसके तहत निगरानी क्षमता का निर्माण और सुदृढ़ीकरण तथा जन्मजात विसंगतियों पर मानकीकृत एवं सटीक आंकड़ों की उपलब्धता का विस्तार किया गया है।

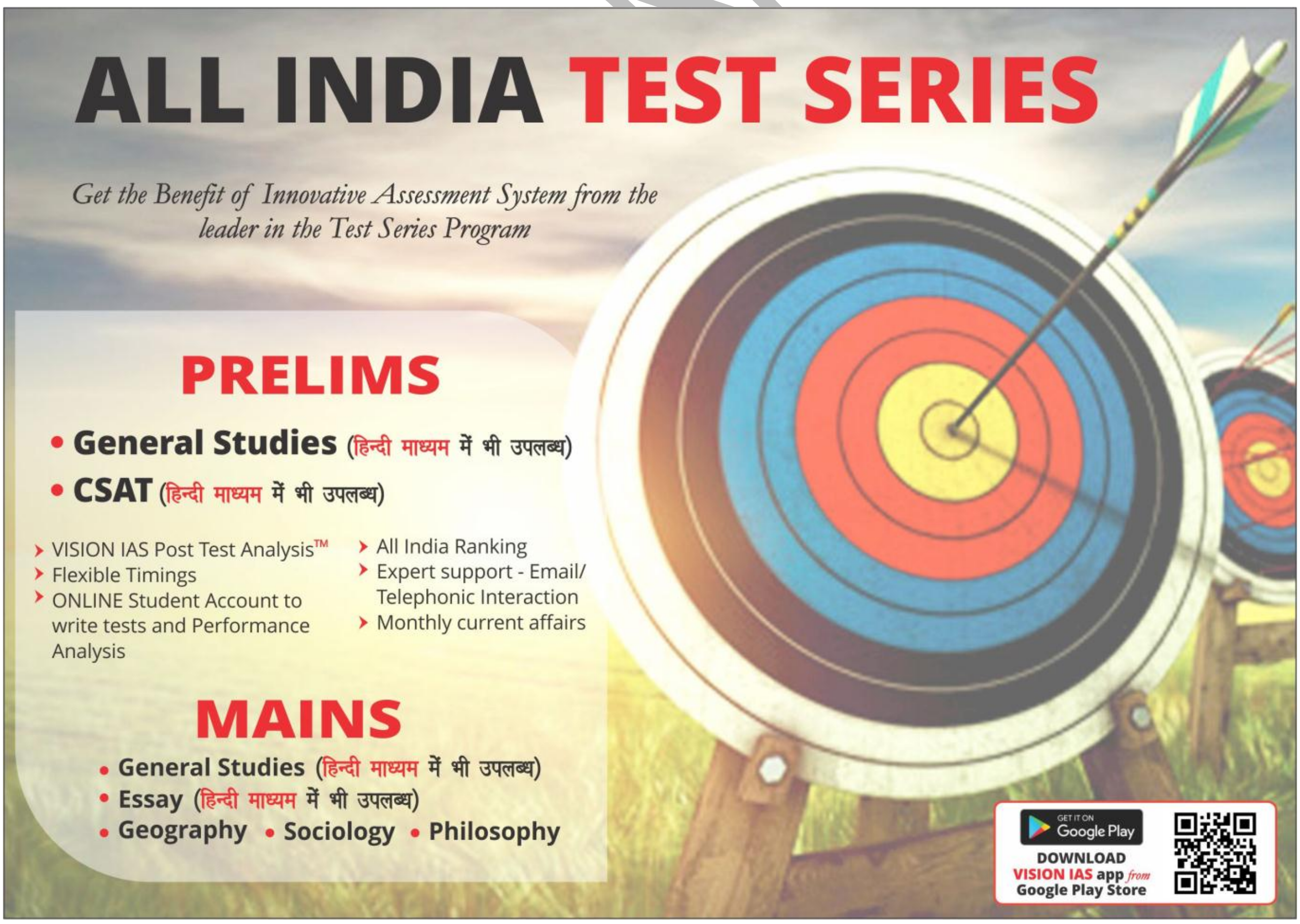

3. शिक्षा

(EDUCATION)

3.1. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

(The Right Of Children To Free And Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक सभा ने **नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017** पारित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद, सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात को भी निर्धारित करता है।
    - प्राथमिक स्तर - 30 :1
    - उच्च प्राथमिक स्तर - 35 :1
    - माध्यमिक स्तर - 30: 1 (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार)
- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए शिक्षकों की भर्ती की गई थी, लेकिन सुयोग्य शिक्षकों की कमी के कारण अयोग्य शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।
- वर्तमान में लगभग 8.5 लाख अयोग्य शिक्षक सेवारत हैं, जिन्हें अब अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में संशोधन के द्वारा डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- संशोधित अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी जाएगी।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रावधान

- यह विधेयक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा का विस्तार करने हेतु बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन करना चाहता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत जिन राज्यों में शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है या योग्य शिक्षक नहीं हैं, वे मार्च 2015 तक 5 वर्षों के लिए न्यूनतम योग्यताओं में छूट प्रदान कर सकते हैं।
- संशोधन विधेयक में कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं की है, उन्हें अब मार्च 2019 तक योग्यता प्राप्त करनी होगी।

भारत में शिक्षकों का प्रशिक्षण

- भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित लक्ष्य है:
    - स्कूली व्यवस्था के लिए शिक्षकों को तैयार करना **(सेवा-पूर्व प्रशिक्षण)**
    - वर्तमान स्कूली शिक्षकों की क्षमता में सुधार लाना **(सेवा के दौरान प्रशिक्षण)**
- सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम , **राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)** के माध्यम से संचालित किया जाता है तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण, सरकारी स्वामित्व वाले **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (TTIs)** के माध्यम से संचालित किया जाता है।
- NCTE ने शिक्षकों की शिक्षा के लिए **राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक *फ्रेमवर्क*** तैयार किया है।
- हालांकि, यह पाया गया है कि NCTE में शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसने पूरी तरह से अक्रियाशील और भ्रष्ट प्रणाली को जन्म दिया है।

- नई शिक्षा नीति पर सुब्रमण्यम समिति ने भी B.Ed पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए **स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंकों** की पात्रता तय करने और **शिक्षक प्रवेश परीक्षा (TET)** अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था।
- इस समिति ने **सरकारी और निजी स्कूल शिक्षकों के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया** का प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नवीकरण किए जाने की भी अनुशंसा की थी।

आगे की राह

- NCTE की नियामकीय शक्तियों औरकार्यप्रणाली को सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- न्यायमूर्ति वर्मा समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए।
    - टीचर एजुकेशन इंस्टीटयूसन को स्थापित करने के लिए निवेश को बढ़ाना चाहिए।
    - शिक्षकों की कमी वाले राज्यों में शिक्षक की क्षमता में वृद्धि हेतु संस्थागत क्षमता बढ़ाना।
    - फ्रेमवर्क ओन स्कूल ऑडिट एंड टीचर परफॉरमेंस का निर्माण करना।
    - *टीचर एजुकेटर्स* की सहभागिता को और बढाया जाना चाहिए और उन्हें *विज़िटिंग फैकल्टी* के रूप में देखा जाना चाहिए।
    - उम्मीदवारों की प्रवेश-पूर्व परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
- योग्य शिक्षकों के साथ ही शिक्षकों की बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

3.2. विद्यालयों का स्थान-विशेष के अनुसार विलय

(Location-Specific Mergers of School)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार द्वारा कम छात्र-संख्या वाले सरकारी विद्यालयों के "विलय" के राजस्थान मॉडल के आधार पर सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2,60,000 छोटे सरकारी विद्यालयों का स्थान-विशेष के अनुसार विलय करने पर विचार किया जा रहा है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

पृष्ठभूमि

- **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** को 2000-2001 के बाद से संचालित किया जा रहा है जिससे सार्वभौमिक पहुँच और प्रतिधारण के लिए विभिन्न पहलें की जा सकें, प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी की रिक्तता को भरा जा सके तथा सीखने की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकें।
- SSA की पहलों में, नए विद्यालय खोलना, विद्यालयों का निर्माण और अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों एवं पेयजल, शिक्षकों का प्रावधान, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म और सीखने के स्तर में सुधार आदि के लिए सहायता सम्मलित हैं।
- इसके अतिरिक्त **शिक्षा के अधिकार विधेयक** के अधिनियमित होने के पश्चात, 2009 में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है।
- RTE अधीनियम के शीर्षक में **"निशुल्क और अनिवार्य" शब्द** शामिल किये गये हैं, जिससे **सरकार और स्थानीय अधिकारियों का यह दायित्व** बन जाता है कि वे 6-14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- इसलिए, देश के सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए सरकार नए विद्यालयों के निर्माण पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित कर रही थी।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सरकार ने 367,000 विद्यालय बनवाए हैं। वर्तमान में इसके सभी स्तरों के 15 लाख विद्यालय हैं।

VISION IAS

समेकन की आवश्यकता क्यों है?

- सरकार के अनुसार यह "पिछले वर्षों में किये गये स्कूली शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर फिर से विचार करने और स्कूलों के राष्ट्रव्यापी समेकन की आवश्यकता" का समय है।
- प्रारूप के दिशानिर्देशों के अनुसार, 2015-16 के दौरान कम से कम 1,87,006 प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-V) और 62,988 उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII) विद्यालय 30 से भी कम छात्रों के साथ चल रहे थे। इसके अतिरिक्त 7,166 विद्यालयों में किसी भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त 87,000 विद्यालयों में एक ही शिक्षक है।
- ऐसा देखा गया है कि अधिशेष छोटे विद्यालयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है:
    - संसाधनों का प्रावधान
    - सीखने की प्रक्रिया, और
    - निगरानी और पर्यवेक्षण

दिशानिर्देशों द्वारा सुझाये गये समाधान:

- मंत्रालय "बच्चों के सर्वोत्तम हित" में और कम-उपयोग के साथ-साथ अपव्यय को रोकने हेतु जिन विद्यालयों में शिक्षक और अन्य संसाधन आवश्यकता से अधिक हैं, उन्हें संसाधनों की अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में पुन: आंवटित करेगा।
- किसी भी एक बस्ती में, जहाँ दो या दो से अधिक छोटे विद्यालय हैं, वहां बच्चों और संसाधनों को एक साथ संयोजित करने का सुझाव दिया जाता है। यह न केवल बेहतर शिक्षा-शिक्षण वातावरण प्रदान करेगा बल्कि RTE के अनुरूप भी होगा।
- परिमेयीकरण प्रक्रिया के पश्चात विलय किये गये विद्यालयों को आवश्यक रूप से प्रत्येक राज्य के RTE के नियमों में परिभाषित आस-पड़ोस के मानदंडों का पालन करना चाहिए।

चुनौतियाँ:

- सक्रिय कार्यकर्ताओं को भय है कि विद्यालयों के छात्रों के लिए घर और विद्यालय के बीच के दूरी बढने के कारण निर्धन बच्चे विद्यालयों में आने जाने का व्यय वहन नहीं कर सकेंगे।
- यह सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की भावना और शिक्षा के अधिकार को व्यापक बनाने के विरुद्ध हो सकता है।

आगे की राह :

- भारतीय विद्यालयों को गुणवत्ता और अवसरंचना की आवश्यकताओं के मामले में एक बड़े झटके की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को सुधारने का कोई भी प्रयास एक सकारात्मक कदम है, परन्तु इसे समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
- अब विद्यालयों के वर्षों से प्रचलित इनपुट आधारित प्रारूपों की जगह परिणामों पर आधारित दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.3. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति

(Allowing Foreign Universities in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग ने** एक पत्र के माध्यम से **आर्थिक कार्य विभाग** और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ऐसे विद्यमान कानूनों में परिवर्तन करने के लिए कहा है, जो उच्च शिक्षा में निजी निवेश के लिए प्रकृति में प्रतिबंधात्मक हैं।

यह क्या है?

- नीति आयोग द्वारा सुझाये गये संशोधन निम्नलिखित हैं-
    - **AICTE अधिनियम की धारा 10(n)** के तहत AICTE को तकनीकी शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की शक्ति प्रदान की गई है।

- **UGC डीम्ड विश्वविद्यालय विनियमन के पैराग्राफ 5.1** के अनुसार सभी डीम्ड होने वाले विश्वविद्यालयों को **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत नॉन प्रॉफिट सोसायटी के रूप में या **पब्लिक ट्रस्ट एक्ट** के तहत नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के रूप में या **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 8 के तहत एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।
- **UGC** (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) **विनियमन पैराग्राफ 2.1** निजी विश्वविद्यालय को परिभाषित करता है। इसके अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एक **राज्य/केंद्रीय अधिनियम** के माध्यम से किसी ऐसी प्रायोजित संस्था द्वारा की जाती है, जिसका पंजीकरण या तो एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी या कंपनी के रूप में हो।

वर्तमान स्थिति

- 762 विश्वविद्यालयों के साथ, भारत में **विश्व का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा क्षेत्रक** है। इसके साथ ही छात्र नामांकन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है।
- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के इतने विशाल स्वरूप के बावजूद, भारतीय संस्थान विश्व में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने में विफल रहते हैं। इसका कारण निम्न स्तरीय शिक्षा (rot learning), रोजगार क्षमता और कौशल विकास के अभाव से ग्रस्त होना है।
- भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली विभिन्न निकायों द्वारा विनियमित की जाती है। इससे विश्वविद्यालयों और संस्थानों (विशेष रूप से विदेशी विश्वविद्यालयों) को स्वायत्तता से संचालित करना कठिन हो जाता है।
- भारत सरकार द्वारा 2002 में शिक्षा क्षेत्र (स्वचालित मार्ग) में 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
- **UGC अधिनियम** के अनुसार, केवल संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा घोषित डीम्ड विश्वविद्यालय ही डिग्री प्रदान कर सकते हैं।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का इतना कम प्रतिनिधित्व क्यों है?

- वर्तमान में, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसर स्थापित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे का अभाव है।
- समस्या यह भी है कि विदेशी विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करने के लिए किसी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी के रूप में पंजीकृत होना पसंद नहीं करेंगे।
- इसके अतिरिक्त, यदि उन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है, तब भी वे UGC के अधीन होंगे तथा इन्हें स्वायत्तता से कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अब तक किये गए प्रयास

- नीति आयोग द्वारा वर्ष 2017 की शुरुआत में इस मुद्दे का समाधान करने के लिए दो विधायी और एक कार्यकारी मार्ग प्रस्तावित किया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा विदेशी परिसरों को अनुमति प्रदान करने हेतु UGC अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, जिससे वे भारत में पूर्ण मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य कर सकेगें। उन्हें एक नया विधेयक पारित करके डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य करने की अनुमति भी प्रदान की जा सकती है।
- कार्यकारी मार्ग के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा खोले गए परिसरों को UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला विनियमन जारी किया जा सकता है।
- सरकार ने **विदेशी शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं परिचालन विनियमन), 2010** तथा **उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक, 2010** नामक दो विधेयकों को प्रस्तुत किया है, जो अभी भी लंबित हैं।
- टी एस सुब्रमण्यम समिति ने भी सिफारिश की है कि विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाये तथा उन्हें वही डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया जाये जो कि उस विश्वविद्यालय के देश में स्वीकार्य है।

VISION IAS

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार की पहलें

- सरकार द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र हेतु विश्व स्तर के संस्थानों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जबकि विदेशी संस्थानों के प्रवेश को सुगम बनाने वाली योजनाओं को लंबित रखा है।
- विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की योजना पर पुनः कार्य करने के लिए एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति बनाई गई है, इन्हें प्रतिष्ठित संस्थान भी कहा जाएगा।
- विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय योजना का उद्देश्य शैक्षिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रभाव को समाप्त करना है। ऐसे सार्वजनिक संस्थानों को HRD मंत्रालय से 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक नई समिति का गठन किया गया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नीति आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशें

- **विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का दर्जा**: स्वायत्त शासन के लिए 20 विश्वविद्यालयों (10 निजी और 10 सार्वजनिक) की पहचान की गयी है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु स्तरित व्यवस्था (tiered system) को अपनाया जाना चाहिए।
- **शीर्ष कॉलेजों के लिए स्वायत्तता**: उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाले कॉलेजों को स्वायत्तता से कार्य करने और एकात्मक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- **नियामक प्रणाली में सुधार:** इसके द्वारा UGC में एक विनियामक निकाय के रूप में आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिश की गयी है तथा एक ऐसी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है जो कि विश्वविद्यालयों के सूक्ष्म प्रबंध की अपेक्षा, सूचना के प्रकटीकरण और प्रशासन पर केंद्रित है।
- कुछ विश्वविद्यालयों को अनुसंधान केंद्र और रोजगार-केंद्रित करने के संदर्भ में अलग किया जाना चाहिए जबकि अन्य को उच्च शिक्षा के प्राथमिक कार्य निर्दिष्ट किये जाने चाहिए।
- परियोजना तथा शोधार्थी विशिष्ट अनुसंधान अनुदान प्रणाली की स्थापना।
- व्यावसायिक और रोजगारपरक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

3.4. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष

(Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक खाते से **“माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष” (MUSK)** नामक स्थायी (non-lapsable) कोष की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शिक्षा उपकर की दर:

- एक उपकर उस कर को कहते हैं, जो सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन जुटाने हेतु लगाया जाता है।

जिस दर पर शिक्षा उपकर की गणना की जाती है, वह कर योग्य आय पर लागू **दो प्रकार के उपकरों का संयोजन** है।

- 2% **शिक्षा उपकर** की दर और
- 1% **माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर (SHEC)**, दोनों को मिलाकर शिक्षा उपकर 3% की दर से देय है।

पृष्ठभूमि

- 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्राथमिक/ आधारभूत शिक्षा के लिए उपलब्ध वर्तमान बजटीय संसाधनों के अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी केन्द्रीय करों पर 2% की दर से एक उपकर लगाया गया था।
- माध्यमिक शिक्षा को व्यापक बनाने और उच्च शिक्षा क्षेत्र की पहुंच का विस्तार करने हेतु केंद्र सरकार के प्रयासों को समान व प्रोत्साहन देने की आवश्यकता महसूस की गई है।
- **सर्वप्रथम जुलाई 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने** इस प्रकार के कोष की स्थापना का प्रस्ताव दिया था, परन्तु इसे स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।
- इस मुद्दे को पुनः फरवरी 2016 में उठाया गया था, जिसे बाद में **आर्थिक मामलों के विभाग** ने स्वीकार कर लिया था।
- **वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136** के प्रावधानों के अनुसार, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए धन और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सभी केन्द्रीय करों पर 1% का "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" लगाया जाना है।
- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने MUSK की स्थापना को स्वीकृति दी है।

फण्ड का उपयोग

निम्नलिखित के लिए फण्ड का उपयोग किया जायेगा:

- **माध्यमिक शिक्षा के लिए:**
  - वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना।
  - राष्ट्रीय आय-योग्यता छात्रवृति योजना और
  - माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय योजना।
- **उच्च शिक्षा के लिए:**
  - कालेज और विश्विद्यालय के छात्रों के लिए चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड के लिए योगदान योजनायें।
  - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
  - छात्रवृति (संस्थानों को ब्लॉक अनुदानों से) तथा शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण का राष्ट्रीय मिशन।

कोष के बारे में:

- MUSK कोष का प्रशासन और देखरेख **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा किया जायेगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा हेतु भविष्य के किसी भी कार्यक्रम/योजना के लिए धन राशि आवंटित कर सकता है।
- **स्कूल शिक्षा व साक्षरता एवं उच्च शिक्षा विभाग की** योजनाओं पर प्रारम्भिक व्यय **सकल बजटीय सहायता (GBS)** से किया जायेगा और GBS के समाप्त हो जाने के पश्चात MUSK से किया जायेगा।
- **प्रारम्भिक शिक्षा कोष (PSK)** के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार MUSK को संचालित किया जायेगा, जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** और **मिड-डे-मील (MDM) की योजनाओं** के लिए उपकर की आय का उपयोग किया जायेगा।
- MUSK को भारत के लोक लेखा के अंतर्गत **गैर-ब्याज अनुभाग** में आरक्षित निधि के रूप में रखा जायेगा।

4. विविध मुद्दें

(MISCELLANEOUS ISSUES)

4.1. स्वच्छ भारत अभियान

(Swachh Bharat Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वच्छ भारत अभियान के तीसरे वर्ष 2017 में विभिन्न सिविल सोसाइटीज और मूल्यांकन समूहों ने स्वच्छता से सम्बंधित आंकड़ों के बारे में चर्चा की।

स्वच्छ भारत अभियान (SBA)

- इस अभियान का लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' की परिकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करना है।
- यह अभियान दो उप मिशनों यथा SBA ग्रामीण और SBA शहरी के तहत आरम्भ किया। इस अभियान को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।

SBA का प्रदर्शन

- ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज पिछले तीन वर्षों में 39% से बढ़कर 67% हो गया है तथा ग्रामीण भारत में लगभग 23 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है।
- पांच राज्यों, 186 जिलों तथा 2,31,000 से अधिक गाँव को खुले में शौच से मुक्त (*ओपन डेफकेशन फ्री*: ODF) घोषित कर दिया गया है।
- पिछले तीन वर्षों में, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय सुविधा वाले विद्यालयों की संख्या 3 लाख (30%) से बढ़कर लगभग 10 लाख (91%) हो गई है।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद् के अनुसार मई-जुलाई 2017 के बीच शौचालयों का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग 91 प्रतिशत था।
- एक स्वतंत्र मूल्यांकन इकाई के अनुसार एक सर्वेक्षण में 1000 उत्तरदाताओं में से 15 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि खुले में शौच से गरिमा का उल्लंघन होता है विशेष तौर पर लड़कियों तथा महिलाओं की गरिमा का। इसके साथ ही इससे रोगों में वृद्धि होती है जिससे पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे विशेष तौर पर प्रभावित होते हैं।

पूर्ववर्ती स्वच्छता-सम्बन्धी पहलें

- 1986 में सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (*सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम*: CRSP) के अंतर्गत प्रथम राष्ट्रव्यापी स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया।
- 1999 में CRSP को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (*टोटल सैनिटेशन कैंपेन*: TSC) के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसके साथ ही इसमें सम्पूर्ण स्वच्छता कवरेज, स्वच्छ वातावरण तथा खुले में शौच से मुक्त पंचायत गाँव, ब्लॉक्स एवं जिलों के रखरखाव के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार जैसी प्रोत्साहन योजनाओं को भी जोड़ा गया।
- **2008 में राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (*नेशनल अर्बन सैनिटेशन पालिसी*: NUSP)** द्वारा राज्य स्वच्छता रणनीति (स्टेट सैनिटेशन स्ट्रेटेजी) की योजना के तहत शहरी स्वच्छता योजना बनाने के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की गयी। शहरी स्वच्छता के लिए पुरस्कार तथा रेटिंग की भी शुरुआत की गई जो की स्वच्छता सेवाओं के मानदंडों पर आधारित थे।
- JNNURM, *अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एंड मीडियम टाउन्स* (UIDSSMT), राजीव आवास योजना इत्यादि द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालय भवन तथा शहरी स्तर पर अपशिष्ट जल निपटान एवं शोधन सुविधाओं के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाया जाता है।
- 2012 में TSC का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान (NBA) कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुन:आरंभ किया गया।

यह अभियान पूर्ववर्ती पहलों से किस प्रकार भिन्न है?

- SBM में अब शौचालयों की संख्या (*आउटपुट*) के स्थान पर परिणाम या *आउटकम* (ODF ग्राम) पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
- इसमें संवहनीयता पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए ODF घोषणा के पश्चात् प्रमाणन व्यवस्था (90 दिन) की गयी हैं क्योंकि ऐसा संभव है कि पुरानी आदत के कारण कुछ ग्राम फिर से खुले में शौच का तरीका अपना लें।
- प्रभावी सूचना, शिक्षा तथा संपर्क (*इनफार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन:* IEC) के द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान किये जा रहे हैं जैसे कि:
    - "दरवाज़ाबंद" अभियान (खुले में शौच के खिलाफ)
    - प्रोत्साहन राशि आधारित जमीनी स्तर के प्रेरक या स्वच्छाग्रही जो शौचालयों की सामुदायिक मांग को प्रेरित करें।
    - स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, जमीनी स्तर पर कार्यरत संगठन, NGOs एवं स्कूली विद्यार्थियों तथा प्रत्येक गाँव में कम से कम एक प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही आदि को शामिल करना।

आगे की राह

- BUMT (*बिल्ड, यूज, मेन्टेन एंड ट्रीट*) प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट एवं जल का सुरक्षित निपटान समय की मांग है।
- स्वच्छता समग्र समुदाय की समस्या है। मात्र व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करने से तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (*कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन*: CLTS) कार्यक्रम नहीं अपनाया जाता है।
- व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने हेतु कोई 'एक' उपयुक्त नीति नहीं है, इसके लिए 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुकरण करते हुए राज्य और स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकरण का उपयोग करने हेतु सशक्त किया जाना चाहिए।

4.2. मैनुअल स्केवेंजिंग

(Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में *मैनुअल स्केवेंजर* (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी) के रूप में कार्य कर रहे 30 लोगों की मृत्यु हो गयी। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** लागू करने के लिए कठोर उपाय करने का आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

- *मैनुअल स्केवेंजिंग* अनुपचारित मानव मल को असुरक्षित तरीके से और हाथ से हटाना है। यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है जो तकनीकी उन्नति और मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद दशकों से चली आ रही है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार *मैनुअल स्केवेंजर्स* की संख्या 77,0338 के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक है।
- 'सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने *मैनुअल स्केवेंजिंग* के उन्मूलन का आदेश दिया था तथा ऐसे श्रमिकों के पुनर्वास का कार्यान्वयन करने को कहा था।
- हालांकि, यह देखा जा रहा है कि खुले में शौच समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान 'स्वच्छ भारत अभियान' के कारण शुष्क शौचालयों, सेप्टिक टैंकों और सीवर में *मैनुअल स्केवेंजिंग* को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला है। यह **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** को निष्प्रभावी बना रहा है।
- *नेशनल कैरियर सर्विसेज* ने भी *मैनुअल स्केवेंजर्स* को 'असंगठित क्षेत्र' के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। इस प्रकार *नेशनल कैरियर सर्विसेज* ने उनके काम को मान्यता प्रदान की है। भारतीय रेलवे *मैनुअल स्केवेंजर्स* का सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है।

- यह समस्या जाति व्यवस्था के कारण और अधिक बढ़ी है। इसके अंतर्गत यह मान लिया गया है कि दलितों द्वारा शौचालय साफ करने का कार्य इच्छापूर्वक किया जाएगा।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

- इस अधिनियम में व्यक्ति को *मैनुअल स्केवेंजर* के रूप में नियोजित करने का निषेध किया गया है। व्यक्ति द्वारा **बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई** को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही **अस्वास्थ्यकर (insanitary) शौचालयों के निर्माण का भी निषेध** किया गया है।
- यह ***मैनुअल स्केवेंजर्स* के पुनर्वास** और उनके लिए वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान करता है।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों का सर्वेक्षण करने और साथ ही स्वास्थ्यकर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने के लिए **स्थानीय निकायों** को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जिनके यहाँ अस्वास्थ्यकर शौचालय बने हुए हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें **बदलकर स्वास्थ्यकर शौचालय बनवाएँ**। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ पाए जाते हैं तो **स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उनके शौचालयों को रूपांतरित किया जाए** और इसकी **लागत उन्हीं से वसूल की जाए**।
- **जिला न्यायाधीश और स्थानीय प्राधिकारी** इसका कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारी होंगे।
- इस विधेयक के अंतर्गत अपराध को **संज्ञेय और गैर-जमानती** माना गया है।

विधेयक की सीमाएँ

- विधेयक में केंद्र या राज्य द्वारा **वित्तीय सहायता** का प्रावधान नहीं किया गया है। यह विधेयक के कार्यान्वयन को मुश्किल बना देता है।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों की पहचान तथा उनके सुधार के संबंध में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- मैनुअल स्केवेंजर का शिक्षा का स्तर काफी कम होता है। अतः उनमें वैकल्पिक रोजगार या स्व-रोजगार के प्रति आत्मविश्वास की कमी होती हैं।

नेशनल कैरियर सर्विस

- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ICT आधारित पोर्टल है।
- यह पोर्टल रोजगार चाहने वाले लोगों, रोजगार प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कैरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह

- राज्य सरकारों को स्वच्छता की कमी वाले पुराने शौचालयों को तोड़कर उनके स्थान पर नये शौचालयों का पुनर्निर्माण करना चाहिए तथा शौचालयों एवं इनकी साफ-सफाई में लगे लोगों की जनगणना करनी चाहिए।
- स्वच्छ भारत अभियान में के तहत अनिवार्य बनाये गए नए शौचालयों के निर्माण और उपरोक्त विधेयक में अनिवार्य बनाये गए शौचालयों के सुधार के बीच स्पष्ट भेद किया जाना चाहिए।
- मैनुअल स्केवेंजर के पुनर्वास के लिए अधिक फंड का आवंटन किया जाना चाहिए।
- मैनुअल स्केवेंजर को कौशल प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे वैकल्पिक रोजगार को अपना सकें।
- जैव-शौचालय जैसे स्वच्छ शौचालय अपनाने के लिए तकनीकी उन्नयन और नवाचारों को लागू किया जाना चाहिए।

4.3. स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट: संधारणीय विकास लक्ष्य

(Voluntary National Review Report: SDGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के *हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम* में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की।

VISION IAS

हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम (HLPF)

यह *यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट* (रियो+20) के अंतर्गत *कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट* को प्रतिस्थापित कर 2013 में स्थापित किया गया है।

यह फोरम *इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल* के तत्वावधान में वार्षिक रूप से आठ दिनों के लिए बैठक करती है।

संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के 2030 एजेंडे के फॉलो-अप एवं समीक्षा में इसकी केंद्रीय भूमिका है।

स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा क्या है?

- यह **SDG- लक्ष्य 17** की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास है। यह फॉलो-अप प्रक्रिया एवं समीक्षा तंत्र का एक भाग है।
- इसका उद्देश्य 2030 के एजेंडे का कार्यान्वयन तीव्र गति से करने हेतु इससे संबंधित समस्त अनुभवों को साझा करने की प्रक्रिया को सहज बनाना है। इसमें सफलताओं, चुनौतियों और मिली सीखों को साझा करना शामिल है।
- वर्तमान रिपोर्ट लक्ष्य 1, 2, 3, 5, 9, 14 और 17 के संबंध में प्रगति को समाहित करती है। साथ ही यह एक प्रयास का दूसरे लक्ष्यों से संबंध भी प्रदर्शित करती है।

संधारणीय विकास लक्ष्य	**प्रयास**	**परिणाम**
लक्ष्य **1**: निर्धनता को इसके सभी रूपों में सर्वत्र समाप्त करना	क्रय शक्ति एवं राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखते हुए तीव्र विकास (संधारणीय विकास लक्ष्य 8), निर्धनता का सामना करने के लिए सरकार का एक प्रमुख शस्त्र है। • राजकोषीय समेकन, मुद्रा स्फीति को लक्ष्य बनाना, सभी जगह अभिशासन में सुधार, तीव्र अवसंरचना विकास **(SDG 9)**, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना **(SDG16)**, आधार अधिनियम, *इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट*, वस्तु एवं सेवा कर (GST), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का और अधिक उदारीकरण एवं रणनीतिक विनिवेश। • मनरेगा (MGNREGA) **(SDG8)**, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय आजीविका मिशन सीमांत समुदायों को कुशल रोजगार प्रदान करती है **(SDG10)**। • 2022 तक सबके लिए आवास **(लक्ष्य 11)**, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत **लक्ष्य 3 एवं 6** के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम **(लक्ष्य 6)**।	उदारीकरण के बाद निर्धनता में तीव्र कमी। आर्थिक विकास के कारण यह 1993-94 में 45.3% से 2011-12 में कम होकर 22% हो गयी।

VISION IAS

लक्ष्य **2:** भूख का अंत करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण उपलब्ध कराना एवं संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना।	• **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** एवं **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** के रूप में संचालित किये जाने वाले कार्यक्रम विश्व में सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा पहलों में से एक हैं। • मध्यान भोजन कार्यक्रम (MDM)। यह कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में 100 मिलियन बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। • **संधारणीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन**, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। • **किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करना।** • **राष्ट्रीय कृषि विपणन प्लेटफार्म,** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की गयी है।	खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष 2005-06 एवं 2015-16 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच शारीरिक विकास रुकने की घटनाओं (stunting) में 48% से 38.4% कमी आयी है। इसी अवधि के दौरान कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 42.5% से कम होकर 35.7% हो गया है।
लक्ष्य **3: किसी भी आयु** के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देना।	• **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017** • आंशिक रूप से टीकाकृत एवं गैर-टीकाकृत बच्चों के लिए **मिशन इंद्रधनुष।**	विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिशु मृत्य दर (IMR) 2005-06 में 57 से कम होकर 2015-16 में 41 रह गई है। संस्थागत प्रसवों की संख्या 2005-06 में 38.7% थी जो 2015-16 में बढ़कर 78.9% हो गई है।
लक्ष्य **5:** लिंग समानता प्राप्त करना एवं सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना।	• **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** एक प्रमुख पहल है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपने क्षेत्रीय संदर्भ के अनुकूल बालिकाओं की स्थिति को उन्नत करने के लिए कई प्रकार के उपायों का कार्यान्वयन कर रही हैं। • मातृत्व लाभ अधिनियम, 2016 तथा शॉप एंड एस्टब्लिश्मेंट एक्ट, 2016 लैंगिक न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है।	हालांकि अभी बहुत अधिक प्रगति की जानी शेष है तथापि भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित कई संकेतकों द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित हुई है 2005-06 में 55.1% साक्षर महिलाओं की तुलना में 2015-16 में 68.4% महिलाएं साक्षर थीं। 2005-06 में 15.1% की तुलना में 2015-16 में 53% महिलाएं स्वतंत्र रूप से किसी बैंक या बचत खाते का उपयोग कर रही थीं।
लक्ष्य **9:** रेजेलिएंट अवसंरचना का निर्माण, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना एवं	• **डिजिटल इंडिया** पहल का उद्देश्य ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी एवं इंटरनेट साथ ही ई-प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण करना है। • **नई विनिर्माण नीति** आउटपुट लक्ष्य को सकल	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने अब तक 18,434 स्थानीय ग्राम परिषदों को उच्च-गति कनेक्टिविटी प्रदान की है। दिसम्बर 2016, तक देश में 432 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे।

VISION IAS

नवोन्मेष को बढ़ावा देना।	घरेलू उत्पाद के 16 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 25% करने का लक्ष्य रखती है। 'मेक इन इंडिया' पर जोर देने एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाहों में उल्लेखनीय वृद्धि होने से भारत हाईटेक एवं वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित हो रहा है। • **स्टार्टअप एवं स्टैंड अप इंडिया,** अटल नवोन्मेष मिशन, **राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016**।	
लक्ष्य **14:** महासागरों, समुदों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग।	• **राष्ट्रीय मत्स्यिकी कार्य योजना-** पारिस्थितिकी-अनुकूल समुद्री औद्योगिक और प्रौद्योगिकी आधार का विकास और साथ ही इसका कार्यान्वयन। • संशोधित **राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना** का कार्यान्वयन करना। • इसके अतिरिक्त, **सागरमाला कार्यक्रम** पत्तन कनेक्टिविटी, पत्तनों से जुड़े औद्योगीकरण प्रक्रिया को तीव्र करने और तटीय समुदाय के विकास पर पर केन्द्रित है।	देश के मैन्ग्रोव कवर में 112 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि हुई है।
लक्ष्य **17:** संधारणीय विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना।	• **स्वच्छ भारत अभियान** के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु स्वच्छ भारत उपकर भी लगाया जाता रहा है। • बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ***इंटरनेशनल सोलर अलायन्स*** के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। • संधारणीयता के लिए वैश्विक साझेदारी हेतु ***इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन***। • राज्यों और स्थानीय सरकारों को वित्तीय हस्तांतरण उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने (आय कर के केंद्रीय पूल के 32% को 42% करने) के लिए 14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है। • पड़ोसी और दक्षिण विश्व के अन्य देशों के साथ विकास संबंधी सहयोग बढ़ाना भारत के नवोन्मेष और विशेषज्ञता का लाभ इन देशों तक पहुचाना।	

VISION IAS

निष्कर्ष

- संधारणीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप देश के विकास परिदृश्य का प्रभावी रूपांतरण करने के लिए सरकार एवं संबंधित हितधारक **"सामूहिक प्रयासों एवं समावेशी विकास"** की प्रक्रिया में संलग्न हैं।

4.4. भारत में खाद्य अपव्यय

(Food Wastage In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में खाद्य अपव्यय का मुद्दा उठाया था और इसे लोगों के व्यवहार से जोड़ा।

पृष्ठभूमि

- *फ़ूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाईजेशन* के अनुसार एक वर्ष में विश्व स्तर पर लगभग 1.3 बिलियन टन खाद्य अपव्यय होता है।
- इस आर्गेनाइजेशन के अनुसार सम्पूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य अपव्यय होता है और साथ ही यह उत्पादन में प्रयुक्त संसाधनों की भी बर्बादी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए खाद्य उत्पादन करने में 25% ताजा जल और लगभग 300 मिलियन बैरल तेल का उपयोग होता है।
- SDG 12.3 ने भी खाद्य अपव्यय को मान्यता दी है और खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपव्यय आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। फसल कटाई के बाद होने वाली हानि सहित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उपभोक्ता स्तर पर होने वाली खाद्य हानि कम करने का लक्ष्य भी शामिल है।
- 2016 के ***ग्लोबल हंगर इंडेक्स*** में 118 देशों में 97वें स्थान पर मौजूद भारत के लिए खाद्य अपव्यय एक बड़ी समस्या है।
- बढ़ते खाद्य अपव्यय के कारण वनों की कटाई, गैर-संधारणीय कृषि पद्धतियों का प्रयोग और अत्यधिक भूजल निकासी होती है। इसके कारण लगभग 45% भूमि का निम्नीकरण हो गया है।
- भोजन के सड़ने होने से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, एक वर्ष में 3.3 बिलियन टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ।

खाद्य अपव्यय के लिए उत्तरदायी कारण

- अधिकतम खाद्य अपव्यय खाद्य मूल्य श्रृंखला के शुरुआती चरणों में होता है। जिसे किसानों के लिए सहायता की कमी, निम्न स्तरीय या अवैज्ञानिक कटाई तकनीकि, कमजोर अवसंरचना, भंडारण, शीतलन और परिवहन सुविधा आदि के साथ जोड़ा जा सकता है।
- IIM कलकत्ता के अनुसार भारत में खाद्य पदार्थों के केवल 10% के लिए शीत भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है। अंततः इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को कटाई के पूर्व और कटाई के बाद भी हानि होती है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, फसल कटाई के बाद होने वाली हानि का कारण खेतों के स्तर पर अल्पावधि भंडारण के लिए आधारभूत संरचना की कमी का होना है।
- भारत में खाद्य अपव्यय लोगों के व्यवहार संबंधी पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है।

आगे की राह

- सरकार को भोजन और किराने की वस्तुओं के दान को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में *बिल एमर्सन गुड समैरिटन अधिनियम*, फ्रांस ने सुपरमार्केट पर बिना बिके खाद्य उत्पादों को नष्ट करने पर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इस प्रकार खाद्य फसलों की न्यूनतम बर्बादी सुनिश्चित करने के लिए खरीद नीति को भी उदार बनाया जाना चाहिए। जिन खाद्य फसलों की खरीद की जाएगी उनकी बर्बादी कम होगी।

VISION IAS

- *इंडियन फ़ूड बैंकिंग नेटवर्क* (IFBN) जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करते हुए **सहयोगी उपभोग** (collaborative consumption) जैसी अवधारणाओं को को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अवसंरचना विकास अर्थात शीतगृह सुविधा, खेत स्तर पर अल्पावधि भंडारण, सड़क संपर्कता, बिजली, e-NAM आदि परियोजनाओं का विकास मिशन मोड स्तर पर किया जाना चाहिए।
- खाद्य अपव्यय की हानियों का आंकलन करने के लिए FAO द्वारा *ग्लोबल फ़ूड इंडेक्स* विकसित किया जा रहा है। इससे जागरूकता फ़ैलाने और नीतिगत कदमों एवं कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिल सकेगी।

4.5. सड़क सुरक्षा: भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2016

(Road Safety: Road Accident in India 2016)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2016' रिपोर्ट जारी की गयी है। इस रिपोर्ट में, भारत में सड़क सुरक्षा की वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

पृष्ठभूमि

यू.एन. डिकेड ऑफ़ एक्शन ऑफ़ रोड सेफ्टी तथा **सतत विकास लक्ष्य (लक्ष्य 3.6)** में सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधान शामिल किये गए हैं। इनके द्वारा राष्ट्रों से **2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50% तक कमी** लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- पूरे देश में पिछले वर्ष औसतन प्रत्येक घंटे 55 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई है। इसका आशय यह है कि भारतीय सड़कों पर प्रत्येक 3.5 मिनट में एक मौत होती है।

सड़क दुर्घटनाओं का बोझ

- **आर्थिक लागत**: योजना आयोग के अनुसार प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में देश की GDP के 3% से अधिक भाग का ह्रास होता है। 2016 में यह राशि 3.8 लाख करोड़ रूपए थी।
- **सामाजिक लागत**: परिवार के सदस्य विशेषकर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु परिवार को गरीबी और सामाजिक संकट की ओर अग्रसर करती है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई विकलांगता से मानव उत्पादकता की क्षति होती है और यह आजीवन कलंक की भाँति विद्यमान रहती है।
- **प्रशासनिक लागत:** इसमें यातायात प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, संसाधन लागत (नुकसान हुई संपत्ति का भुगतान) और बीमा प्रशासन शामिल हैं।

- पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई है, जबकि दुर्घटनाओं में 4.1% की कमी आई है, जिससे दुर्घटनाओं की विभीषिका में वृद्धि का संकेत मिलता है।
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की संख्या में 1.1% की गिरावट आई और 2016 में कुल 4.95 लाख लोग घायल हुए।
- 2015 में 29.1 और 2014 में 28.5 की तुलना में **दुर्घटना की विभीषिका(Accident severity)** (इसे 100 दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है) 2016 में 31.4 के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गयी है।

सड़क सुरक्षा हेतु सुझाव

सड़क सुरक्षा में बुनियादी ढांचे से लेकर प्रवर्तन एजेंसियों जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाता है जैसे कि:

VISION

सड़क

- सड़क की लम्बाई तथा कवरेज का विस्तार करने की अपेक्षा **सड़कों के लिए प्रायोगिक वैज्ञानिक अध्ययन** की दिशा में नीतिगत परिवर्तन करना समय की आवश्यकता है।
- सड़क सुरक्षा पर गठित **एस. सुंदर समिति ने 2007** में सड़क ढांचे के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसमें डिजाइन के चरण में प्रभावी सड़क अभियांत्रिकी समाधान, दुर्घटना के **प्रमुख स्थानों(hotspots)** में सुधार आदि शामिल हैं।
- एशियाई विकास बैंक(ADB) द्वारा तैयार की गई **सड़क सुरक्षा कार्य योजना** में यातायात की इष्टतम गतिशीलता, यातायात संचलन को बढ़ावा देने, व्यस्ततम समय हेतु अलग रास्तों(rush-hour lanes) का निर्माण और **सेल्फ एक्सप्लेंड** सड़कों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

लोग

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के ***सेफ सिस्टम एप्रोच*** ने इस बात को स्वीकार किया है कि सड़क सुरक्षा हेतु लोगों की भूमिका को दंडात्मक तरीकों से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अपेक्षा नीतिगत दृष्टिकोण को समाज के सभी वर्गों के लिए **शिक्षा और जागरूकता** की दिशा में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

सेफ सिस्टम एप्रोच

यह सड़क सुरक्षा प्रबंधन का एक दृष्टिकोण है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे जीवन और स्वास्थ्य का समझौता हमारी यात्रा करने की आवश्यकता से नहीं किया जाना चाहिए।

- भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 19 प्रतिशत हिस्सा पैदल यात्रियों का है। इसका कारण **पैदल चलने हेतु अनुकूल परिवेश का अभाव और फुटपाथों का अतिक्रमण** है।

वाहन

- सुरक्षा सम्बन्धी स्टार रेटिंग निर्धारित करने की दिशा में ***भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम*** की शुरुआत दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
- वाहन तकनीकी जैसे *कॉलिज़न-अवॉइडन्स सिस्टम्स*, (सेमी)ऑटोनोमस वेहिकल, *स्टेबिलिटी कंट्रोल*, बेहतर सड़क-वाहन संपर्क, *आटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम*, *एयर कुशन टेक्नोलॉजी* और गति वाले पोत वाहनों में गति नियंत्रक आदि का आधुनिकीकरण।

सरकार

- सड़क सुरक्षा पर गठित **के.एस. राधाकृष्णन** पैनल द्वारा शराब पीकर गाडी चलाने एवं तेज गति से वाहन चलने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए ***ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी*** और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के अधिक मजबूत तरीके अपनाने का समर्थन किया गया है।
- यात्री वाहनों पर यातायात के बोझ को कम करने के लिए ***गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल फ्रेट पॉलिसी*** लागू की जानी चाहिए।

सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2014 का प्रारूप

- इसमें तीन प्रमुख एजेंसियों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण, *नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीमॉडल कोआर्डिनेशन अथॉरिटी* और राज्य परिवहन प्राधिकरण।
- गैर-मोटर वाहन परिवहन और पैदल यात्री व साइकिल चालकों हेतु बुनियादी ढाँचा करने का प्रावधान किया गया है।
- अपराधी को पकड़ने की प्रणाली में सुधार, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, वाहनों का पंजीकरण और जुर्माना, को युक्तियुक्त बनाना तथा डिजिटल सिस्टम की शरुआत।
- एकीकृत वाहन पंजीकरण प्रणाली और पंजीकरण को बीमा, वाहन सम्बन्धी अपराध और वाहन के रखरखाव (fitness) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा संबंधी सरकार की पहल

- सरकार द्वारा 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया गया है।
- राजमार्गों पर जोखिम वाले स्थानों को समाप्त करने के लिए **प्रधान मंत्री सुरक्षित सडक योजना**।

VISION IAS

- **लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल 2016**,पारित।
- इसमें शामिल हैं:
  - ड्राईवर लाइसेंसिंग की मौजूदा श्रेणियों में संशोधन,
  - वाहनों में कमी पाए जाने पर वाहनों को वापस ले लेना,
  - किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से भले नागरिकों(good Samaritans) की सुरक्षा और
  - 1988 के अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना।

- **एस. सुंदर** समिति द्वारा सड़क सुरक्षा परिदृश्य को परिवर्तित करने हेतु सड़क सुरक्षा और आवागमन प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की सिफारिश की गई है।
- **राकेश मोहन** समिति ने **राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति** पर सुरक्षा मानकों के प्रतिदिन अनुपालन सुनिश्चित करने और मौजूदा नीतियों एवं मानकों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संचालन एजेंसियों में सुरक्षा विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया है।

निष्कर्ष

सड़क सुरक्षा पर WHO द्वारा जारी 2015 की *ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट* द्वारा 15-29 वर्षों के आयु समूह के लिए सड़क दुर्घटनाओं को वैश्विक स्वास्थ्य खतरे की संज्ञा दी गयी है। देश में प्रभावी सड़क सुरक्षा के लिए नई नीतियों और कार्यक्रम को **2015 के ब्रासीलिया घोषणापत्र** पर आधारित होना चाहिए। यह घोषणापत्र परिवहन के लिए अधिक स्थायी तरीकों और साधनों हेतु नीतियों पर पुनर्विचार करने पर बल देता है।

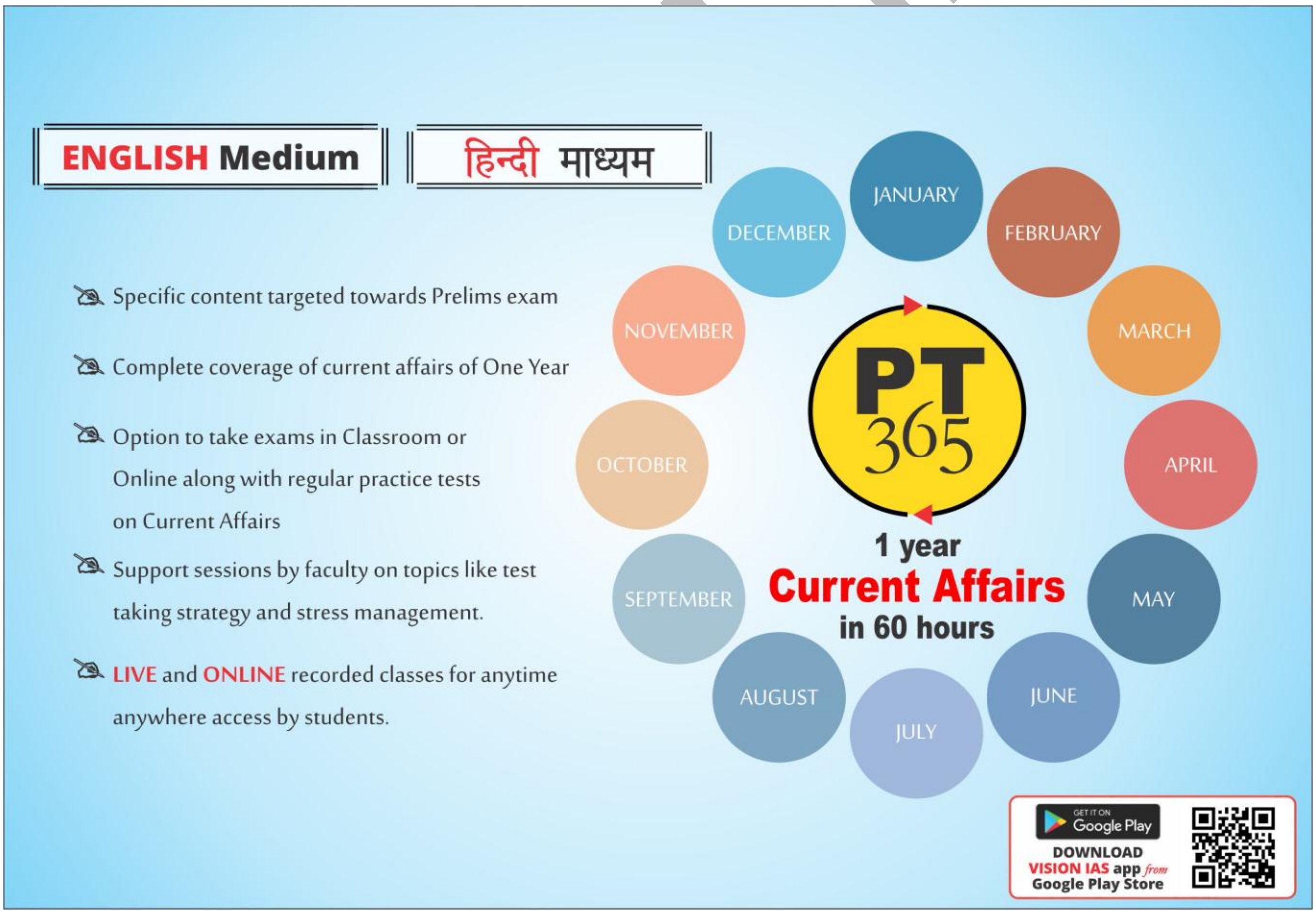

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.